



₹ हरित बजट

2024-25





हरित बजट

2024-25

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्राक्कथन

भारत की अध्यक्षता में हाल ही में जी-20 की बैठक सम्पन्न हुई। इस बैठक के थीम “एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य” के तहत भारत की प्राथमिकताएं समावेशी विकास के साथ जलवायु, वित्तीय प्रबंधन और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं।¹ पेरिस समझौता, आइची जैव-विविधता लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) जैसी अंतर्राष्ट्रीय बचनबद्धताएं निम्न कार्बन वाले भविष्य की दिशा में दुनिया के सामूहिक प्रयास की महत्वपूर्ण जरूरत को रेखांकित करती हैं। जलवायु सुधार से पूरे विश्व को लाभ पहुँचता है परंतु जलवायु सुधार पर होनेवाले व्यय का भार स्थानीय समुदायों को उठाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि यह वर्चित (वल्लरेबल) समुदाय जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का सामना करते हैं। इस संबंध में भारत जैसे विकासशील देश में राज्यों के स्तर पर भी जलवायु और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके कारण “हरित बजट” की भूमिका को नीति-निर्माण हेतु व्यवहार में लाया जा रहा है।

बिहार 2020-21 में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य था, जिसका फोकस पर्यावरण संबंधी प्राथमिकताओं को विकासमूलक रखते हुए अपने बजट को हरित योजनाओं के लिए टैगिंग करना था। बिहार जैसे राज्य के लिए यह आवश्यक है क्योंकि यह राज्य बाढ़, सूखा, भूकंप, आंधी-तूफान, बिजली गिरने आदि प्राकृतिक आपदाओं के जोखिमों के लिहाज से अतिसंवेदनशील है। हरित बजट निर्माण से वस्तुतः अपने संसाधनों, परिव्ययों और नीतियों पर नजर रखने में मदद मिलती है, समन्वित कार्रवाई को बल मिलता है, भावी जरूरतों के वित्त-पोषण का अनुमान हो पाता है और संसाधनों का कुशल आवंटन सुनिश्चित होता है। हरित बजट के माध्यम से सरकारें हरित निवेश को प्राथमिकता दे सकती हैं, राज्य की प्रगति पर नजर रख सकती हैं, और विभिन्न बजट चक्रों में पर्यावरण संबंधी चिंताओं को समेकित कर पर्यावरण संबंधी प्रतिबद्धताओं के साथ राजकोषीय संरेखण सुनिश्चित कर सकती हैं।

पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने तथा वनीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जल-जीवन-हरियाली-अभियान (जेजेएचए) जैसे अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना (एसएपीसीसी) जलवायु संबंधी अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियों के लिए रोडमैप उपलब्ध कराकर हरित बजट निर्माण के प्रयासों के तहत काम कर रहा है।² वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए राज्य की ऊर्जा, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, परिवहन, और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर ‘जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ’ विकसित करने की भी योजना है।³ राज्य ने वायु प्रदूषण के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए शहरी क्षेत्रों में परिवेशीय वायु गुणवत्ता के अनुश्रवण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रखंड स्तर पर इसकी शुरुआत कर दी है।

1 नीति आयोग. “ए ग्रीन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एजेंडा”. 2023. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-12/REVISED_Report-on-G20-Conference-on-Green-Growth_FINAL-REVISED.pdf

2 बिहार सरकार. 2015. “राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना”.

3 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

इस प्रकार, राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिहार के हरित बजट को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना पर्यावरण संबंधी चिंताओं को राज्य सरकार के वार्षिक व्यय में समाहित करने की दिशा में पहल है। इस अभ्यास के जरिए उन कार्यक्रमों और नीतियों की पहचान करने पर ध्यान कोंप्रित रहा है, जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता के लिए योगदान करते हैं। समय के साथ हरित पहलों को सतत विकास लक्ष्यों के लिहाज से सूचीबद्ध करने से पर्यावरणीय स्थिरता के लिए संसाधनों का आवंटन, सरकारी विभागों के बीच समन्वय, हितधारकों का सशक्तीकरण और भविष्य की दिशा में प्रगति हेतु नीतिगत लक्ष्यों को वित्तीय योजनाओं में बदलने में मदद मिलेगी।

विषय वस्तु

आमुख

i-ii

शब्द संक्षेप

v-vi

1. परिचय	01
2. बिहार का पर्यावरण : एक अवलोकन	02
3. बिहार में हरित बजट निर्माण	10
4. बिहार में हरित बजट : सारांश	15
5. राज्य में मुख्य हरित पहलें	23
6. संदर्भ सूची	82

तालिका सूची

तालिका 1: बिहार और संपूर्ण भारत में पर्यावरण की स्थिति	04
तालिका 2: हरित बजट के संबंध में दृष्टिकोण	12
तालिका 3: बिहार में हरित बजट सारांश	17
तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरित बजट विभाग-वार विवरणी	18
तालिका 5: बिहार में हरित बजट का विभाग-वार विवरण	19
तालिका 6: हरित बजट के लिए चिन्हित कुल योजनाएँ	20
तालिका 7: बिहार में हरित बजट का प्रदर्शन (2024-25)	20
तालिका 8: विभागवार एस0डी0जी0 मैपिंग	21

चित्र सूची

चित्र 1: बिहार में हरित बजट निर्माण की रूपरेखा	10
चित्र 2: हरित बजट निर्माण के थीम संबंधी पहलू	11
चित्र 3: हरित घटक और पर्यावरणीय स्थायित्व का महत्व	13
चित्र 4: विभागवार एसडीजी वितरण	22
चित्र 5: विभागवार गतिविधि वितरण	22

अनुसूची

अनुसूची 1: विभागवार हरित बजट विवरण	42-81
------------------------------------	-------

शब्द संक्षेप

एजीबी	भूम्योपरि जैव-भार
एएमआरयूटी (अमृत)	अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन
बीसीएम	अरब घनमीटर
बीजीबी	अधोभूमि जैव-भार
बीएमएसआइसीएल	बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसपीसीबी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बीएसआरडीसीएल	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बीडब्ल्यूडीएस	बिहार जलसंभर क्षेत्र विकास समिति
सीएएक्यूएमएस	सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र
सीएएमपीए (कैंपा)	क्षतिपूर्ति-परक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीएमसी	व्यापक अनुरक्षण नीति
सीएनजी	दाबित प्राकृतिक गैस
जीएआइएल (गैल)	भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
जीसीसी	सकल व्यय संविदा
जीआइएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीआरआइएचए (गृहा)	समेकित पर्यावास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
आइएमडी	भारतीय मौसमविज्ञान विभाग
आइएसआरओ (इसरो)	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
जेजेएचए	जल-जीवन-हरियाली अभियान

केडब्ल्यूएच	किलोवाट आवर
एलआइएसएस (लिस्स)	लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनर
एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमएलडी	दस लाख लीटर प्रतिदिन
एमआरएफ	सामग्री पुनःप्राप्ति सुविधा
एमडब्ल्यूपी	मेगावाट पीक
एनएपीसीसी	राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
एनबीएसएपी	राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना
एनओ2	नाइट्रोजन डायॉक्साइड
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्त
पीएम10	10 माइक्रोमीटर या कम व्यास वाले कणीय पदार्थ
पीएम2.5	2.5 माइक्रोमीटर या कम व्यास वाले महीन कणीय पदार्थ
पीएमसी	पटना नगर निगम
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
सएपीसीसी	राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसडीजी	सुस्थिर विकास लक्ष्य
एसओसी	मृदा जैव कार्बन
एसआरआइ (श्री)	चावल सघनीकरण प्रणाली
टीपीडी	टन प्रतिदिन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनईपी	संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
डब्ल्यूपीयू	अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई

1. परिचय

हाल के वर्षों में समाज पर प्रभाव डालने वाले कार्बन उत्सर्जन, जैव-विविधता में हास और पर्यावरण क्षरण के कारण वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्रवाई आवश्यक है। जलवायु संबंधी वैश्विक प्रतिबद्धता और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में भारत की भी दीर्घकालिक योजना है, जो स्थिर और न्याय के साथ विकास की दिशा में हरित ऊर्जा, इसके दायित्वपूर्ण उपयोग एवं पर्यावरण की स्थिरता पर बल देने वाली है। जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट- 2022 में भारत की जलवायु संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्य रेखांकित किए गए हैं, जिनमें वर्ष 2070 तक निवल-शून्य (नेट-ज़ीरो) उत्सर्जन, अक्षय ऊर्जा पर 50 प्रतिशत निर्भरता तथा 2030 तक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत कमी शामिल हैं।⁴ आर्थिक प्रगति को बरकरार रखते हुए पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य स्तर समेत विभिन्न क्षेत्रीय स्तरों पर समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020-21 में ही हरित बजट निर्माण को अपनाकर बिहार ने देश में अग्रणी भूमिका निभायी है। वर्ष 2022-23 में स्थिर मूल्य पर 10.6 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि हासिल करके बिहार देश के सबसे तीव्र गति से विकास करने वाले राज्यों में से एक है।⁵ हालांकि इससे संसाधनों की खपत, प्रदूषण, निर्वनीकरण और जलवायु परिवर्तन में वृद्धि समेत अनेक पर्यावरण संबंधी जोखिम पैदा होते हैं, जो पारिस्थितिकीय तत्रों (इकोसिस्टम) पर दबाव डाल सकते हैं, प्रजातियों को संकटग्रस्त कर सकते हैं और मौसम की स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। कृषि, मत्स्य और पर्यटन जैसे क्षेत्र बिहार की जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। अनियमित वर्षा, बढ़ते तापमान, बाढ़ और सूखा से राज्य के पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, जैव-विविधता, जीवन और जीविका को खतरा पैदा होता है जो इन्हें खास तौर पर असुरक्षित क्षेत्र बना देता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसे प्राथमिकता के आधार पर जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा समुदाय की प्रतिरोध-क्षमता में निवेश करके राज्य द्वारा अपनी जनता और पर्यावरण के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

बिहार की उपजाऊ भूमि और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों में विकास की असीम संभावनायें हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वन आवरण में वृद्धि करने और जल संरक्षण से लेकर समुदायों की सहभागिता बढ़ाने तक अनेक जलवायु संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं। हरित बजट अभ्यास ने जलवायु संबंधी चिंताओं को बजट निर्माण के साथ एकीकृत करने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, तथा विभागों के लिए नीतिगत सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्यों के साथ संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग के लिए रोडमैप उपलब्ध करा दिया है।

4 जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022. <https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2022>

5 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

2. बिहार का पर्यावरण : एक अवलोकन

बिहार, भारत के पूर्वी भाग में $24^{\circ}20'10''$ से $27^{\circ}31'15''$ उत्तरी अक्षांश और $82^{\circ}19'50''$ से $88^{\circ}17'40''$ पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। राज्य की समुद्रतल से औसत ऊंचाई लगभग 52.73 मीटर है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखण्ड अवस्थित हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है जो देश के कुल क्षेत्रफल का 2.9 प्रतिशत है। वहाँ, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या लगभग 10.40 करोड़ है और जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।⁶

राज्य में वर्षापात चार मौसमों में विभक्त है – दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून (जून से सितंबर), शीतकालीन वर्षा (दिसंबर से फरवरी), ग्रीष्मकालीन वर्षा (मार्च से मई) और उत्तर-पश्चिमी मॉनसून (अक्टूबर-नवंबर)। वर्ष 2022-23 में बिहार में 849.1 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षापात हुआ जिसमें दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून का 81.7 प्रतिशत हिस्सा था।⁷ राज्य की उपोष्ण जलवायु की विशेषता गर्म और नम ग्रीष्म ऋतु, हल्की ठंड वाली शीत ऋतु तथा मॉनसून वाली वर्षा ऋतु हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य में औसत वार्षिक भूतल वायु तापमान 24.7° सेल्सियस, औसत न्यूनतम तापमान 7.1° सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 42.3° सेल्सियस है।⁸

बिहार का भूगोल विविधतापूर्ण है। इसके तीन मुख्य क्षेत्र हैं : उत्तर में हिमालय की तराई, मध्य में कृषि योग्य मैदानी भाग और दक्षिण में खनिज संसाधनों से संपन्न पठार। गंगा के मैदान को उत्तरी और दक्षिणी – दो भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी भाग चौरस और बाढ़-प्रवण क्षेत्र है, जबकि दक्षिण बिहार पहाड़ियों और पठारों वाला है। मैदानी भागों की मिट्टी मुख्यतः दोमट, बलुआही, या बलुई-दोमट है। बिहार का हिमालय से लेकर गंगा के मैदान तक का विस्तृत भाग विविधतापूर्ण पारिस्थितिकीय और जैव-विविधता से भरा हुआ है। राज्य में 2.25 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाले 4526 के आस-पास आर्द्र भूमि है। यह बात राज्य में उनके पारिस्थितिकीय महत्व को रेखांकित करता है।⁹

राज्य में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, राजगीर वन्यजीव अभयारण्य और रजौली वन्यजीव अभयारण्य जैसे वन्यजीव अभयारण्य, तथा कुशेश्वरस्थान पक्षी अभयारण्य, बड़ेला झील पक्षी अभयारण्य, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य, नागी डैम पक्षी अभयारण्य और कांवर झील पक्षी अभयारण्य जैसे पक्षी अभयारण्य, बाघ अभयारण्य (वाल्मीकि बाघ आरक्ष), डॉल्फीन (सूंस) अभयारण्य

6 भारत की जनगणना. 2011. महानिवंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. <http://www.censusindia.gov.in/>.

7 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

8 मौसमविज्ञान केंद्र, पटना.

9 भारतीय नमभूमियों का अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण. 2021. स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद, भारत https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

(विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य), और संरक्षण तथा सामुदायिक आरक्ष (गोगाबिल संरक्षण आरक्ष, गोगाबिल सामुदायिक आरक्ष तथा भलुनी धाम संरक्षण आरक्ष) मौजूद हैं।¹⁰

वर्ष 2021 के इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 9722 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादन (फॉरेस्ट कवर) है जिसमें एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले प्राकृतिक वन और वैधिक रूप से निरपेक्ष 10 प्रतिशत या अधिक सघनता (काउन डॉस्टी) वाले वृक्षाच्छादन (ट्री कवर) शामिल हैं।¹¹ वहीं, उच्च रिजोल्यूशन वाली उपग्रहीय प्रतिबिंब (लिस-IV, 5.8 मी.) पर आधारित भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुमान के अनुसार राज्य में व्यापक वनाच्छादन 13,896 वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल भूक्षेत्र का 14.75 प्रतिशत है।¹² अनुमानित वनाच्छादन में वन क्षेत्र के अंदर और बाहर स्थित वृक्षाच्छादन शामिल हैं। इसमें मुख्यतः दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, बांका और मुंगेर जिलों में और उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण में अवस्थित शुष्क पर्णपाती साल वन और आर्द्र पर्णपाती साल वन शामिल हैं। वर्ष 2021 में मुख्यतः मिट्टी और पेड़-पौधों के मृत भागों में 568.8 लाख टन वन्य कार्बन मौजूद था। इसमें सर्वाधिक हिस्सा मृदा जैव कार्बन (एसओसी) का था, जो 2021 में बिहार के कुल वन्य कार्बन पूँज (पूल) का 63.1 प्रतिशत था।¹³

बिहार को गंगा और उसकी सहायक नदियों यथा- गंडक, कोशी तथा महानंदा आदि नदियों का वरदान प्राप्त है। इन नदियों से सिंचाई, पेयजल, नौकायन और मात्स्यकी के लिए जल उपलब्ध होता है। नहरों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए नदियों के पानी का सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही, राज्य के अधिकांश भाग में मौजूद उर्वर गंगेय जलोढ़ मिट्टी के कारण राज्य में प्रचुर भूजल संसाधन भी मौजूद है। वर्ष 2023 में राज्य में कुल 33.96 अरब घनमीटर का वार्षिक भूजल संभरण (ग्राउंडवाटर रिचार्ज) हुआ था जिसका 44.7 प्रतिशत हिस्सा निकाला गया था।¹⁴ अपनी भौगोलिक स्थिति और जल-मौसम वैज्ञानिक प्रणाली की अस्थिरता के कारण राज्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है और हाल के दशकों में इन आपदाओं की बारंबारता और तीव्रता बढ़ते हुए दिखी है। उत्तर बिहार के जिले बाढ़ के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील हैं और अचानक आनेवाली बाढ़, नदियों से होनेवाले बाढ़ तथा जल-जमावों के कारण कृषि भूमि, संपत्ति, जन-जीवन और बुनियादी संरचनाओं को काफी क्षति पहुंचती है।

राज्य में वायु प्रदूषण मुख्यतः सड़कों की धूल, कृषि, जीवाश्म इंधन जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और वाहनों से उत्सर्जन के कारण होता है। शहरी क्षेत्र खास तौर पर प्रभावित होते हैं क्यांकि संकेंद्रित प्रदूषक ताप संचित करके धुंध पैदा करते हैं। वर्ष 2022-23 में पटना की वायु गुणवत्ता, खास कर लघु कणीय पदार्थों (पीएम2.5), वृहत कणीय पदार्थों (पीएम10) और

10 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

11 “स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021”: भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. <https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details>

12 “चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28)”: 2023. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

13 स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. <https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details>

14 “नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया”: 2023. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी)

<https://cgwb.gov.in/cgwpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf>

नाइट्रोजन डायक्साइड के मामले में, राष्ट्रीय मानकों से बेहतर थी।¹⁵ वर्ष 2021 में राज्य के लगभग 13 जिले फ्लोराइड से, 10 जिले नाइट्रेट से, 22 जिले आर्सेनिक से, और 19 जिले आयरन से प्रदूषित थे जहां ये पेयजलों में नियामक निकायों द्वारा निर्दिष्ट सीमा से अधिक थे।¹⁶ राज्य में निकलने वाले मलजल की अनुमानित मात्रा 2020 में 2276 एमएलडी प्रतिदिन था।¹⁷

तालिका 1 : बिहार और संपूर्ण भारत में पर्यावरण की स्थिति

A. बिहार की सामान्य विवरणी¹⁸

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	2011	94163 (2.86%)	3287469 (2.40%)
जनसंख्या (करोड़)	2011	10.41 (8.60%)	121.06 (17.76%)
ग्रामीण जनसंख्या (करोड़)	2011	9.234 (88.71%)	83.375 (68.85%)
शहरी जनसंख्या (करोड़)	2011	1.176 (11.30%)	37.70 (31.14%)
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर)	2011	1106	382

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

15 सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड. <https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/>

16 भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय. भारत सरकार. <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1707520>

17 नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

<https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvcMTIyOF8xNjE1MTk2MzlyX21lZGlhGhvdG85NTY0LnBkZg==>

18 जनसंख्या गणना. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. 2011. <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>

B. स्थिरता और जलवायु सूचकांक

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
सतत विकास लक्ष्य (समग्रता में रैंक) ^{19,20}	2020	28/28 (स्कोर 52)	112/166 (स्कोर 63.4) (2023)
साफ पानी और स्वच्छता (लक्ष्य 6) संबंधी रैंक ¹⁸	2020	91	83
किफायती और स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7) संबंधी रैंक ¹⁸	2020	78	92
भूमि पर जीवन (लक्ष्य 15) संबंधी रैंक ¹⁸	2020	62	66
राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक (स्कोर) ²¹	2021-22	21.0	29.1
राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक (स्कोर) ²²	2021-22	38.3	40.6
पर्यावरण सुस्थिरता (स्कोर) ²¹	2021-22	33.7	37.7
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक (स्कोर) ²³	2019	37.8	-
जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता (रैंक) ^{24,25}	2019-20	6/29 (स्कोर 0.614) शीर्ष अति संवेदनशील राज्यों का 25%	7/181 (CRI स्कोर 16.67) वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक

C. भूमि उपयोग पैटर्न^{26,27}

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कुल अकृष्य भूमि (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	4289.18 (45.83)	165479.08 (50.34)
शुद्ध बुआई क्षेत्र (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	5070.39 (54.17)	141006.77 (42.89)
सकल बुआई क्षेत्र (क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)	2021-22	7328.57	219158.36

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

19 सतत विकास लक्ष्य भारत स्कोर 2020. <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

20 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023. <https://dashboards.sdgindex.org/static/profiles/pdfs/SDR-2023-india.pdf>

21 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, अलायंस फॉर एन इनर्जी इफिशिएंट इकोनोमी, 2022. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22. <https://stateenergyefficiencyindex.in/wp-content/uploads/2023/04/State-Energy-Efficiency-Index-2021-22-Report.pdf>

22 नीति आयोग. राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक - चक्र 1. 2022. <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRound1-10-04-2022.pdf>

23 नीति आयोग. 2019. संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक. https://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf

24 सामान्य रूपरेखा का उपयोग करके भारत में अनुकूलन योजना निर्माण के लिए जलवायु अस्थिरता मूल्यांकन, 2019-20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग. <https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%28281%29.pdf>

25 वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021. संघीय आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

26 बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, 2023-24, वित्त विभाग, बिहार सरकार.

27 भूमि उपयोग सांख्यिकी - एक नजर में (अन्तिम अनुमान). आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार. -Land Use Statistics At a Glance | Official website of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India (desagri.gov.in)

D. वन संसाधन²⁸

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कुल हरित आवरण (वर्ग किमी) (LISS-IV, 5.8m) ²⁹	2019	13,896 (14.75)	-
कुल बनाच्छादन (वर्ग किमी)	2021	7381 (7.84)	713789 (21.71)
कुल आच्छादन (वर्ग किमी)	2021	2341 (2.49)	95748 (2.91)
वनों के प्रकार (वर्ग किमी)			
अति सघन वन (VDF)	2021	333 (0.35)	99779 (3.04)
मध्य सघन वन (MDF)	2021	3286 (3.49)	306890 (9.33)
खुले वन (OF)	2021	3762 (4.00)	307120 (9.34)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

E. वनों में कार्बन स्टॉक²⁷

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
वनों में कार्बन स्टॉक (हजार टन में)	2021	56881 (100.0)	7203846 (100.0)
भूम्योपरि जैव-भार (AGB)	2021	14743 (19.97)	2319910 (32.50)
अधोभूमि जैव-भार (BGB)	2021	5249 (7.11)	718852 (10.07)
मृत काष्ठ	2021	231 (0.31)	47665 (0.67)
कूड़ा-करकट	2021	785 (1.06)	107251 (1.50)
मृदा जैव कार्बन (SOC)	2021	35873 (48.60)	4010168 (56.18)
बढ़ता स्टॉक (लाख घनमीटर में)	2021	715.6	61675.0

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े टन में प्रति हेक्टेयर स्टॉक दर्शाते हैं।

27 भूमि उपयोग सार्विकी – एक नजर में (अनर्तिम अनुमान), आर्थिक एवं सार्विकी निदेशालय, भारत सरकार. -Land Use Statistics At a Glance | Official website of Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India (desagni.gov.in)

28 “स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 (2022)”. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार. <https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details>

29 “चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–28)”. 2023. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

F. जलवायु³⁰

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
औसत वार्षिक तापमान (0 सेल्सियस)	2022	24.7	25.21
औसत न्यूनतम तापमान (0 सेल्सियस)	2022	7.1	19.89
औसत अधिकतम तापमान (0 सेल्सियस)	2022	42.3	30.53
वार्षिक वर्षापात (मिलीमीटर)	2022	849.1	1257.0

G. आर्द्ध भूमि^{31,32}

सूचक	इकाई	वर्ष	बिहार	भारत
थलीय नमभूमि (प्राकृतिक)				
झील/ तालाब	संख्या	2021	387	11740
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		14820	729532
गोखुर झील/ कट-ऑफ मीएंडर (घुमावदार कटाव)	संख्या	2021	912	4673
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		16432	104124
उच्च अल्टीट्यूड (तुंगता)	संख्या	2021	-	2707
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		-	124253
नदी तटीय नमभूमि	संख्या	2021	172	2834
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		2194	91682
जल जमाव-ग्रस्त	संख्या	2021	1537	11957
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		30700	315091
नदी/ धारा	संख्या	2021	209	11747
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		294685	5258385

30 वार्षिक रिपोर्ट 2022. भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, भूमि विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार. https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/ar2022.pdf

31 स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, इसरो. 2021. “भारतीय नमभूमियों का अंतरिक्ष आधारित प्रेक्षण”. स्पेस अप्लीकेशन सेंटर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद, https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

32 राष्ट्रीय नमभूमि सारिख्यकी. भारत में नमभूमियों के क्षेत्रफल का प्रकार आधारित अनुमान. <https://indianwetlands.in/wetlands-overview/national-wetlands-statistics/>.

सूचक	इकाई	वर्ष	बिहार	भारत
थलीय नमधूमि (मानव निर्मित)				
जलाशय/ बेराज	संख्या	2021	71	14894
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		9116	2481987
तालाब	संख्या	2021	1216	122370
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		6484	1310443
जल जमाव-ग्रस्त	संख्या	2021	22	5488
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		335	135704
लवण कुंड	संख्या	2021	-	60
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		-	13698
कुल थलीय नमधूमि	संख्या	2021	4526	188470
	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)		374766	10564899

H. भू-जल संसाधन³³

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
वार्षिक भू-जल पुनर्भरण (बिलियन घनमीटर में)	2023	33.96	449.08
निकासी योग्य वार्षिक भू-जल संसाधन (बिलियन घनमीटर में)	2023	30.72	407.21
सिंचाई, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों के लिए वार्षिक भूजल निकासी (बिलियन घनमीटर में)	2023	13.75	241.34
भूजल निकासी का स्तर (%)	2023	44.76	59.26

³³ “नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023”. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी). <https://cgwb.gov.in/cgwbpm/public/uploads/documents/1701427211704550895file.pdf>.

I. वायु प्रदूषण³⁴

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
कणीय पदार्थ 2.5 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	100	60
कणीय पदार्थ 10 (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	190	119
सल्फर डायॉक्साइड (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	10	11
नाइट्रोजन डायॉक्साइड (माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर) (औसत संकेंद्रण)	2023	42	39

J. भूजल प्रदूषण³⁵

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
फ्लोराइड (1.5 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	13	370
नाइट्रेट (45 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	10	423
आर्सेनिक (0.01 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	22	152
आयरन (1.0 मिग्रा प्रति लीटर से अधिक) (प्रभावित जिलों की संख्या)	2021	19	341

K. अपशिष्ट प्रबंधन³⁵

सूचक	वर्ष	बिहार	भारत
मलजल की निकासी (एम०एल०डी०)	2020	2276	72368
मलजल उपचार क्षमता – स्थापित (एम०एल०डी०)	2020	10	31841
मलजल उपचार क्षमता – प्रस्तावित (एम०एल०डी०)	2020	621	4827

34 सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड. <https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/>. 4 फरवरी 2024 को प्राप्त.

35 भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय. भारत सरकार. <https://pib.gov.in/PressReleaseFramePage.aspx?PRID=1707520>

36 भारत सरकार. 2021. नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड.

<https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvcMTIyOF8xNjE1MTk2MzlyX21ZGihcGhvvdG85NTY0LnBkZg==>

3. बिहार में हरित बजट निर्माण


राज्य सरकार, बिहार विधान मंडल में वर्ष 2020-21 से हरित बजट प्रस्तुत करती रही है। इस प्रकार, बिहार में अपनाई जा रही हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया एक सरल और समावेशी दृष्टिकोण है। राज्य के बजट में पर्यावरण संबंधी आवंटनों और व्ययों को टैग करने में विभिन्न हितधारक विभागों की भूमिका शामिल होती है। हरित बजट निर्माण के इस दृष्टिकोण में तीन मुख्य बिन्दुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है : संगठित प्रतिक्रिया, हरित कार्य प्रणाली और नीतिगत मंत्रणा।

सर्वप्रथम, इस रूपरेखा में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, वन, ऊर्जा, जल संसाधन, परिवहन, ग्रामीण एवं शहरी विकास आदि विभिन्न क्षेत्रों में हरित विचारों को मौजूदा बजट आवंटन में शामिल करने के लिए व्यापक और समेकित दृष्टिकोण अपनाते हुए विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

दूसरे, रियोमार्कर पद्धति के उपयोग और सतत विकास लक्ष्यों के साथ मैपिंग करने से वैश्वक मानकों के अनुसार पर्यावरण संबंधी व्ययों का वर्गीकरण और ट्रैकिंग किया जाता है।

तीसरे, नीतिगत मंत्रणा की प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के साथ राज्य की नीतियों का संरेखण शामिल होता है। कुल मिलाकर, राज्य में हरित बजट निर्माण की प्रारंभिक रूपरेखा को पर्यावरण संबंधी इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए सहभागिता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करके पर्यावरण संबंधी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए निर्मित किया गया है।


चित्र 1: बिहार में हरित बजट निर्माण की रूपरेखा



हरित बजट निर्माण में थीम संबंधी अनेक पहलू शामिल होते हैं, जिनका लक्ष्य पर्यावरण संबंधी विचारों को सरकारी व्ययों के विभिन्न पहलुओं के साथ समेकित करना होता है। थीम संबंधी विभिन्न पहलुओं में प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण, सौर ऊर्जा संयंत्र, हरित भवन, और सार्वजनिक परिवहन जैसी अवसरचनाओं का निर्माण, जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुकूलन और न्यूनीकरण, वायु और जल प्रदूषण पर नियंत्रण, अपशिष्ट में कमी, उसका पुनर्चक्रण और उत्तरदायित्व के

साथ निपटान, जमीन का सतत् उपयोग, विलुप्तप्राय प्रजातियों और पर्यावासों की रक्षा, पारिस्थितिकीय तत्रों की पुनर्स्थापना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा, हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण और सबको सतत् आजीविका उपलब्ध कराना शामिल हैं। हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में प्रयुक्त हरित योजना और अभ्यास की विभिन्न थीमों को चित्र 2 में दर्शाया गया है।

चित्र 2: हरित बजट निर्माण के थीम संबंधी पहलू



इस प्रकार, हरित बजट निर्माण विभागों के बीच समन्वय को मजबूती और पर्यावरण की सुस्थिरता के लिए संगठित प्रतिक्रिया को बढ़ावा की रणनीति है। इससे नीति-निर्माताओं को हरित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय क्षेत्र के अंदर अपने संसाधनों का मूल्यांकन और पुनर्विन्यास करने में मदद मिलती है। हरित बजट निर्माण अभी भी आरंभिक चरण में है इसलिए क्षेत्रगत परिणामों और उपलब्धियों को व्यक्त करने वाले व्ययों का व्यापक विश्लेषण करने के लिहाज से इसमें सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में हरित बजट निर्माण की प्रणाली में शामिल विभिन्न चरणों को निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- ◆ **चरण 1 :** इसमें विभिन्न हितधारक विभागों की मौजूदा वार्षिक योजनाओं और बजटों में विशेष कार्यक्रमों की पहचान करने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए संभावित हरित हस्तक्षेपों को समझने के लिए किसी कार्यक्रम से संबंधित दिशा-निर्देशों और उद्देश्यों की विभिन्न स्रोतों से समीक्षा की जाती है। हरित बजट की संभावना को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संबंधी प्रत्यक्ष कार्यक्रमों/क्रियाकलापों और सतत् विकास लक्ष्यों के लिए अप्रत्यक्ष योगदान करने वाले कार्यक्रमों, दोनों पर विचार किया जाता है।
- ◆ **चरण 2 :** विहित प्रपत्र के अनुसार, हितधारक विभागों से संबंधित स्कीमों एवं उनके बजटीय प्रावधानों को एकत्र किया जाता है। वित्त विभाग द्वारा आवश्यकता-आधारित तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इससे हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में परिशुद्धता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिहाज से बजट की ट्रैकिंग और आंकड़ों का

प्रबंधन व्यवस्थित करने के लिए वित्त विभाग तकनीकी सहयोग देता है और विचार-विमर्श करता है।

- ◆ **चरण 3 :** हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में आंकड़ों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग के कार्यक्रम स्तर के बजट कोड का उपयोग करते हुए गहन ट्रैकिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है जिसका लक्ष्य दोहरी गणना को समाप्त करना और पर्यावरण पर केंद्रित कार्यक्रमों की पहचान करना होता है। साथ ही, ये कोड विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और सतत विकास संबंधी अन्य गतिविधियों के साथ भी टैग हुए हैं।

तालिका 2: हरित बजट के संबंध में दृष्टिकोण

पद्धति:

बजटीय प्रावधान और व्यय का आकलन	
हरित योजना निर्माण के उद्देश्यों के साथ संरेखित हितधारक विभागों की पहचान	विभागीय उद्देश्यों की उनकी वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों के जरिए समीक्षा
	हरित उद्देश्यों के साथ संरेखित विभागीय नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा
हरित योजना निर्माण में योगदान करने वाली योजनाओं और कार्यक्रमों की ट्रैकिंग	विस्तृत अनुदान मांगों और बजट दस्तावेजों की समीक्षा
	विभागीय राजकोषीय योजना, उसके लक्ष्यों और उपलब्धियों की ट्रैकिंग के लिए हितधारकों के साथ परामर्श
ट्रैक की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के बजट आवंटनों और व्ययों की टैगिंग	राजकोषीय बजट परिव्यय से बजट प्रावधानों का विभाग-वार और योजना-वार संग्रहण
	विभागीय बजट आवंटन और व्यय से हरित बजट के प्रावधानों का संकलन (कोलेशन)
	टैग की गई योजनाओं और कार्यक्रमों के हरित गतिविधि संबंधी महत्व की समीक्षा

बिहार में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया में पर्यावरण संबंधी बजट आवंटनों को टैग करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के टूल रियो-मार्कर पद्धति का उपयोग किया गया। इस विधि में विभिन्न स्कीमों के तहत किए जानेवाले व्यय को पर्यावरण संबंधी प्रभाव के आधार पर पूर्णतः समर्पित, महत्वपूर्ण और सीमांत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न प्रक्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के अनुश्रवण के लिए संबंधित विभाग के बजट शीर्षों का उपयोग करते हुए रियो-मार्कर प्रणाली और सतत विकास लक्ष्य मैपिंग (एसडीजी मैपिंग) को अपनाया जाता है।

हरित गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए विहित प्रपत्र तैयार किया गया। इसके बाद विभागों को हर शीर्ष का औचित्य स्पष्ट करते हुए बजट आवंटन निर्धारित किया गया। विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की ट्रैकिंग और लेबलिंग के लिए सतत

विकास लक्ष्य सूचीकरण और रियो-मार्कर मानक रूपरेखा का उपयोग किया गया। विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योजनाओं के वर्गीकरण के लिए हर योजना की उसके लक्ष्यों और घटक अंगों के साथ गहन जांच की गई। विभिन्न घटकों की ट्रैकिंग के जरिए योजनाओं के संचयी प्राप्ताकों (क्यूमुलेटिव स्कोर) की गणना की गई। इस बजट टैगिंग प्रक्रिया को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एसएपीसीसी), राष्ट्रीय जैव-विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (एनबीएसएपी) और हरित गतिविधि वर्गीकरण पर मौजूद दस्तावेजों के साथ जोड़ा गया। योजना-वार स्कोर के आधार पर विभिन्न योजनाओं के बजट शीर्षों के साथ “हरित” का टैग लगाया गया।

चित्र 3: हरित घटक और पर्यावरणीय स्थायित्व का महत्व

पूर्णतः समर्पित (90-100 प्रतिशत)	राष्ट्रीय वानीकीकरण कार्यक्रम, बाघ परियोजना, ई-वाहन योजना, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण योजनाएं इत्यादि
अत्यधिक महत्व (75-90 प्रतिशत)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन इत्यादि
अधिक महत्व (50-75 प्रतिशत)	परंपरागत कृषि विकास योजना, जलवायु अनुकूल कृषि योजना, भू-जल प्रबंधन एवं विनियमन, राष्ट्रीय भू-जल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम इत्यादि
मध्यम महत्व (25-50 प्रतिशत)	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि राष्ट्रीय मिशन, समेकित एकीकृत वाटर सेड प्रबंधन कार्यक्रम इत्यादि
निम्न महत्व (5-25 प्रतिशत)	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन, परंपरागत कृषि विकास योजना इत्यादि
सीमांत महत्व (5 प्रतिशत से कम)	प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम, एनसीसी, पर्यावरण स्वयंसेवी कार्यक्रम, सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री इत्यादि

टिप्पणी : योजनाओं की सूची सिर्फ सांकेतिक है, संपूर्ण नहीं।

टिप्पणी:

- ◆ पर्यावरणीय स्थिरता के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों/प्रतिबद्धताओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए कार्यक्रम संबंधी बजट अनुमानों का विश्लेषण पर्याप्त नहीं है।

- ◆ हरित बजट में केवल चुनिंदा विभागों के बजट अनुमानों, योजनाओं और कार्यक्रमों के आवंटन एवं व्यय को ही शामिल किया गया है, इसलिए परिणाम या व्यय पूर्ण स्थिति को व्यक्त नहीं करते हैं।
- ◆ पर्यावरण नियमों को बजट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, वर्तमान कार्यप्रणाली में हरित बजट पर्यावरणीय स्थिरता हेतु व्यय की दक्षता का मूल्यांकन नहीं करता है।
- ◆ उपर्युक्त सीमाओं के बावजूद, इस प्रक्रिया से संबंधित लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, पर्यावरण नीति, सार्वजनिक वित्त और बजट, हरित अर्थव्यवस्था आदि जैसे महत्वपूर्ण एजेंडे को एकत्र करने की संभावना है।

4. बिहार में हरित बजट : सारांश

बिहार में पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन और उससे निपटने की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा महसूस किया जाता रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2020-21 से ही राज्य सरकार द्वारा हरित बजट तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार के हरित गतिविधियों एवं क्रियाकलापों को पर्यावरणीय महत्व, थीम एवं सतत विकास लक्ष्य के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता हेतु किए गए समेकित व्यय संबंधी दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। वर्तमान खंड में बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के लिए हरित बजट आवंटन पर चर्चा की गई है।

हरित बजट का सारांश तालिका 3 में दिया गया है। वर्ष 2024-25 में हरित बजट के लिए कुल 13,823.39 करोड़ रु. अनुमानित है जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के 9920.77 करोड़ रु. के बजट आवंटन से 39.34 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2024-25 में हरित बजट, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 1.42 प्रतिशत और राज्य के कुल बजट का 4.96 प्रतिशत है।

विभाग-वार हरित बजट

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में कुल 20 विभागों द्वारा हरित योजना संबंधी विवरणी उपलब्ध कराए गए। अनुसूची 1 में चिन्हित योजनाओं/कार्यक्रमों को उनके हरित प्रासंगिकता, गतिविधियों, तथा सतत विकास लक्ष्यों, के साथ टैगिंग करते हुए विवरणी प्रस्तुत किया गया है। वहीं, 2024-25 के लिए विभाग का कुल बजट, चिन्हित योजनाओं का बजट तथा हरित बजट आवंटन की विवरणी तालिका 4 में दिया गया है। पर्यावरण संबंधी योजना/कार्यक्रम, व्यय एवं आवंटन के नजरिए से पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग हरित बजट का महत्वपूर्ण अंग है।

पर्यावरण संबंधी योजनाओं का महत्व

पर्यावरण संबंधी पूर्ण, आंशिक या सीमांत प्रभावों के आधार पर योजनाओं का वर्गीकरण किया गया है, जिससे सतत विकास के लक्ष्यों के प्रति उनके योगदान का मूल्यांकन में मदद मिलती है। इस वर्ष का हरित बजट आवंटन मुख्यतः श्रेणी ए - पूर्णतः समर्पित (90-100 प्रतिशत) और श्रेणी सी- उच्च महत्व (50-75 प्रतिशत) के अंतर्गत है, जिनकी कुल राशि क्रमशः 6514.08 करोड़ रु. और 3759.62 करोड़ रु. है (तालिका 7)। पूर्णतः समर्पित श्रेणी के तहत कुल 90 योजनाओं की पहचान की गई है। पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सभी योजनाएं “पूर्णतः समर्पित” श्रेणी में हैं। इसके बाद लघु जल संसाधन विभाग और नगर आवास एवं विकास विभाग का स्थान है। जल-जीवन-हरियाली अभियान, 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन ‘जलवायु अनुकूलन एवं निम्न कार्बन विकास-पथ’, जैविक खेती को बढ़ावा, ई-वाहन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा के अधिक उपयोग को प्रोत्साहन, और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण जैसी विभिन्न पहलें राज्य के उन्नत भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

सतत विकास लक्ष्य का विभाग-वार सूचीकरण

विभागीय स्तर पर पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी पहलों के सूचीकरण से सतत विकास लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता),

2 (शून्य भूखमरी), 15 (भूमि पर जीवन), 11 (सुस्थिर शहर और समुदाय), तथा 13 (जलवायु संबंधी कार्य) से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में पर्यावरणीय संवेदनशीलता का पता चलता है (तालिका 8 और चित्र 4)। जलवायु संबंधी कार्रवाई के साथ-साथ जल, खाद्य, जमीन, और नगर विकास पर फोकस पर्यावरण संबंधी अंतर्संबंधित मुद्दों की व्यापक समझ को रेखांकित करता है।

हरित बजट का थीम सूचीकरण

पर्यावरण की सुस्थिरता संबंधी विभिन्न थीमों में हरित बजट का आवंटन चित्र 5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2024-25 की हरित बजट निर्माण रणनीति में हरित अवसंरचना (24.65 प्रतिशत), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (19.24 प्रतिशत), हरित अर्थव्यवस्था एवं रोजगार (14.83 प्रतिशत), जमीन का सतत उपयोग (14.03 प्रतिशत), तथा जलवायु परिवर्तन शमन एवं अनुकूलन (10.82 प्रतिशत) को प्राथमिकता दी गई है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रयासों को व्यक्त करता है। शेष बजट को स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन (6.61 प्रतिशत), वायु एवं जलवायु प्रदूषण में कमी (6.01 प्रतिशत), तथा जैव-विविधता एवं पारिस्थितिक संरक्षण (3.81 प्रतिशत) थीमों में बांटा गया है।

भविष्य की राहें

संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने हेतु बिहार जैसी अर्थव्यवस्था के लिए हरित बजट जैसे नए दृष्टिकोण की जरूरत है। पर्यावरण के व्यापक प्रभावों को देखते हुए संसाधन प्रबंधन एवं हरित अवसंरचना पर व्यय संबंधी निर्णय आर्थिक विकास तथा पर्यावरण की स्थिरता को संतुलित करने की दिशा में कारगर होंगे। इस प्रकार, बिहार में हरित बजट निर्माण की प्रक्रिया की वर्तमान यात्रा से कुशलता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और हितधारकों की व्यापक संलग्नता बढ़ने की आशा की जाती है जो पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों की सुव्यवस्थित प्राप्ति के कारक होंगे।

तालिका 3: बिहार में हरित बजट सारांश

(करोड़ रु. में)

विवरणी	वास्तविक			बजट अनुमान	
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राज्य का बजट परिव्यय	165696.51	193122.98	231903.88	261885.40	278725.72
राज्य की कुल प्राप्ति (राजस्व प्राप्ति+ पूंजीगत प्राप्ति)	164903.84	199270.15	221013.04	262085.40	278925.72
राजस्व प्राप्ति	128168.35	158797.33	172688.02	212326.97	226798.40
केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्ति	91625.29	119958.45	124535.39	156115.18	165172.54
राज्य का अपना राजस्व	36543.05	38838.88	48152.64	56211.79	61625.86
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)	618628.00	675448.00	751396.00	858928.00	976514.00
चिन्हित विभागों का बजट आवंटन	83682.31	104428.61	129321.06	79074.38	152350.86
चिन्हित विभागों का हरित बजट आवंटन	3307.59	6767.29	7989.58	9920.77	13823.39
चिन्हित विभागों के कुल बजट में हरित बजट का हिस्सा (%)	3.95	6.48	6.18	12.55	9.07
राज्य के कुल बजट में हरित बजट का हिस्सा (%)	2.00	3.50	3.45	3.79	4.96
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हरित बजट का हिस्सा (%)	0.53	1.00	1.06	1.16	1.42

स्रोत : बजट सारांश, बिहार सरकार (विभिन्न संस्करण)

तालिका 4: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हरित बजट विभाग-वार विवरणी

(करोड़ रु. में)

क्र.	विभाग ¹	हरित बजट का अनुमान (2024-25)				
		विभाग का कुल बजट	चिह्नित योजना का बजट	चिह्नित योजना का हरित बजट	कुल बजट आवंटन का हरित %	चिह्नित योजना का हरित %
1	कृषि	3600.92	1211.95	643.74	17.88	53.12
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	1631.35	312.89	182.32	11.18	58.27
3	भवन निर्माण	5012.65	1115.00	156.75	3.13	14.06
4	शिक्षा	52639.03	1173.02	35.29	0.07	3.01
5	ऊर्जा	11422.68	270.00	270.00	2.36	100.00
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	853.03	853.03	853.03	100.00	100.00
7	स्वास्थ्य	14932.09	3.50	3.50	0.02	100.00
8	उद्योग	1833.09	501.53	343.55	18.74	68.50
9	सूचना एवं जनसंपर्क	254.24	81.13	4.06	1.60	5.00
10	लघु जल संसाधन	1030.95	785.00	785.00	76.14	100.00
11	पंचायती राज	11025.84	5733.86	4110.03	37.28	71.68
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	1848.22	50.00	50.00	2.71	100.00
13	पथ निर्माण	5702.81	1379.00	9.74	0.17	0.71
14	ग्रामीण विकास	14296.71	8142.71	4383.88	30.66	53.84
15	ग्रामीण कार्य	9532.31	4778.13	149.28	1.57	3.12
16	गन्ना उद्योग	123.80	37.60	37.60	30.37	100.00
17	पर्यटन	462.44	162.00	35.25	7.62	21.76
18	परिवहन	451.46	131.00	102.00	22.59	77.86
19	नगर विकास एवं आवास	11298.72	3408.10	1118.30	9.90	32.81
20	जल संसाधन	4398.52	3232.63	550.09	12.51	17.02
	योगफल	152350.86	33362.08	13823.39	9.07	41.43

37 वैसे विभाग जिनके कार्य का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा संधारणियता स्थापित करना है, उनके वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनायों/कार्यक्रमों में स्थापना एवं प्रतिब) व्यय दोनों की राशि को शामिल किया गया है।

तालिका 5: बिहार में हरित बजट का विभाग-वार विवरण

(करोड़ रु. में)

क्र.	चिह्नित विभाग	2022-23 हरित बजट (वास्तविक)	2023-24 हरित बजट अनुमान	2023-24 हरित बजट पुन. अनुमान	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 हरित बजट अनुमान
1	कृषि	569.89	968.50	663.45	1211.95	643.74
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	138.11	179.18	187.42	312.89	182.32
3	भवन निर्माण	112.74	73.88	89.10	1115.00	156.75
4	शिक्षा	9.97	16.21	46.39	1173.02	35.29
5	ऊर्जा	42.50	70.00	70.00	270.00	270.00
6	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	518.75	773.84	811.65	853.03	853.03
7	स्वास्थ्य	0.77	5.00	5.00	3.50	3.50
8	उद्योग	1.21	1.75	2.19	501.53	343.55
9	सूचना एवं जनसंपर्क	4.11	4.10	4.10	81.13	4.06
10	लघु जल संसाधन	466.12	784.58	799.43	785.00	785.00
11	पंचायती राज	2306.37	0.00	2330.49	5733.86	4110.03
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	21.00	50.00	50.00	50.00	50.00
13	पथ निर्माण	11.16	47.99	56.33	1379.00	9.74
14	ग्रामीण विकास	2476.84	4742.66	5004.79	8142.71	4383.88
15	ग्रामीण कार्य	137.58	325.04	400.08	4778.13	149.28
16	गन्ना उद्योग	14.45	100.00	100.00	37.60	37.60
17	पर्यटन	19.53	26.99	26.99	162.00	35.25
18	परिवहन	5.24	66.55	66.55	131.00	102.00
19	नगर विकास एवं आवास	574.61	1132.22	5393.28	3408.10	1118.30
20	जल संसाधन	558.61	552.29	686.31	3232.63	550.09
	योगफल	7989.58	9920.77	16793.54	33362.08	13823.39

तालिका 6: हरित बजट के लिए चिह्नित कुल योजनाएँ

क्रं.	विभाग	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता										चिह्नित योजनाएँ 2024-25		
		90-100%		75-90%		75-50%		50-25%		25-05%				
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24			
1	कृषि	3	3	16	4	19	21	21	12	6	15	0	0	65
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	1	1	13
3	भवन निर्माण	1	1	0	0	0	0	0	0	4	2	2	1	7
4	शिक्षा	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	8	3
5	ऊर्जा	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
6	पर्यावरण एवं जल परिवर्तन	39	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
7	स्वास्थ्य	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	उद्योग	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2
9	सूचना एवं जनसंपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
10	लघु जल संसाधन	12	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	12
11	पंचायती राज	3	0	0	0	3	0	6	0	0	0	0	0	12
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
13	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1
14	ग्रामीण विकास	9	8	0	0	8	2	0	0	17	0	0	17	34
15	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	6
16	गन्ना उद्योग	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
17	पर्यटन	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1
18	परिवहन	1	1	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	2
19	नगर विकास एवं आवास	13	5	6	6	0	0	16	4	17	14	0	3	52
20	जल संसाधन	0	0	0	0	0	0	0	0	22	20	0	0	22
	कुल	90	74	22	13	39	32	49	24	68	55	13	39	281


तालिका 7: बिहार में हरित बजट का प्रदर्शन (2024-25)

समूह	योजनाओं की संख्या हरित बजट	कुल हरित बजट (करोड़ रु.)
ए- पूर्णतः समर्पित (90-100%)	90	6514.08
बी- अत्यधिक महत्व (75-90%)	22	148.77
सी- अधिक महत्व (50-75%)	39	3759.62
डी- मध्यम महत्व (25-50%)	49	1987.99
इ- निम्न महत्व (5-25%)	68	1267.95
एफ- सीमांत महत्व (05% तक)	13	144.98
कुल	281	13823.39


तालिका ४: विभागवार एस०डी०जी० मैपिंग

क्र.	विभाग	एस डी जी २	एस डी ज ३	एस डी ज ४	एस डी ज ५	एस डी ज ६	एस डी ज ७	एस डी ज ८	एस डी ज ९	एस डी ज ११	एस डी ज १२	एस डी ज १३	एस डी ज १४	एस डी ज १५
1	कृषि	55	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	32
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	7	6
3	भवन निर्माण	0	0	0	4	4	0	2	4	4	4	0	1	
4	शिक्षा	0	1	0	0	2	0	2	0	0	3	0	0	
5	ऊर्जा	0	0	0	3	1	0	1	0	3	0	0	0	
6	पर्या. वन एवं जल. परिवर्तन	4	1	0	0	0	10	2	4	0	17	2	30	
7	स्वास्थ्य	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	उद्योग	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	
9	सूचना एवं जनसंपर्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
10	लघु जल संसाधन	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	पंचायती राज	0	0	0	9	6	0	0	12	0	6	0	9	
12	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	पथ निर्माण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
14	ग्रामीण विकास	0	0	23	11	0	25	0	0	0	2	0	10	
15	ग्रामीण कार्य	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	
16	गन्ना उद्योग	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	पर्यटन	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	
18	परिवहन	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	
19	नगर विकास एवं आवास	0	0	0	39	8	0	3	49	5	8	0	3	
20	जल संसाधन	22	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
	कुल	109	2	23	142	21	35	11	71	20	51	9	100	

चित्र 4: विभागवार एसडीजी वितरण



चित्र 5: विभागवार गतिविधि वितरण



5. राज्य में मुख्य हरित पहलें

पर्यावरण की सुस्थिरता और जलवायु परिवर्तन संबंधी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बिहार सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत विभिन्न पहलों की घोषणा की है। इस खंड में राज्य में ली गई मुख्य हरित पहलों पर चर्चा की गई है।

1. कृषि विभाग

- ♦ **चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023-28) :** अक्टूबर 2023 में आरंभ हुए चतुर्थ कृषि रोडमैप में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, कृषि, कृषिवानिकी, फसल अपशिष्ट जलाने पर रोकथाम, जैविक खेती एवं जैव उर्वरक को प्रोत्साहन तथा जैविक कॉरिडोर की योजना जैसी हरित कार्यक्रमों के साथ सतत कृषि विकास के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है। राज्य सरकार की इन पहलों से संसाधनों के उपयोग में सुधार और मिट्टी की स्वास्थ्य रक्षा होती है। साथ ही, सूक्ष्म-सिंचाई प्रणालियों, वर्षा जल संचयन, और समेकित जल प्रबंधन जैसे कार्यक्रमों से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है तथा किसानों की आजीविका में सुधार हो सकता है।
- ♦ **हरित योजनाओं को बढ़ावा :** विभाग के बजट का बड़ा हिस्सा हरित गतिविधियों पर व्यय किया जाता है। फसल उत्पादन योजनाओं जैसे- धान, गेहूँ, दलहन, तेलहन, मोटे अनाज तथा व्यवसायिक फसलों के अंतर्गत गन्ना, जूट इत्यादि उगाने को प्राथमिकता दी जाती है। फसल उत्पादन के घटकों श्री विधि धान की खेती, जीरो टिलेज से धान एवं गेहूँ की खेती, पैडी ट्रासप्लांटर से धान की रोपाई इत्यादि शामिल है। राज्य में जैविक कॉरिडोर योजनान्तर्गत जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्यानिकी फसल अंतर्गत एक वर्षीय एवं बहुवर्षीय फसलों का क्षेत्र विस्तार की योजना कार्यान्वित की जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती पर बल दिया जा रहा है। ड्रीप सिंचाई का उपयोग किया जा रहा है।
- ♦ **जैविक कॉरिडोर योजना :** जैविक कॉरिडोर योजना का लक्ष्य गंगा के आसपास के जिलों को 20,000 एकड़ जमीन को जैविक क्षेत्र में बदलना है। इस योजना के तहत मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, भू-जल का प्रदूषण से बचाव, रसायनों के प्रभाव से मिट्टी, पानी और हवा का बचाव, विषैली चीजों से रहित खाद्यानों का उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, उत्पादन लागत में कमी और अंततः आमदनी और आहार की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसानों को वित्तीय और अवसंरचना संबंधी सहायता देकर टिकाऊ कृषि व्यवहारों को बढ़ावा दिया जाता है। बागवानी के तहत एकवर्षीय और बहुवर्षीय फसलों के क्षेत्र विस्तार की भी योजना है।
- ♦ **भूमि संरक्षण :** इस परियोजना में 'स्प्रिंकलर' योजनाओं, चेकडैम, नहरों का जीर्णोद्धार, तटबंध, स्टैच्यू गार्ड ट्रैंच, और वृक्षारोपण सहित भूमि और जल संरक्षण के लिए विभिन्न ढांचों का निर्माण, वृक्षारोपण शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों का निर्माण, और भूमिहीन किसानों के लिए उत्पादन प्रणालियां शामिल हैं।

- ♦ समेकित जलसंभर क्षेत्र विकास कार्यक्रम : समेकित जलसंभर क्षेत्र विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार जलसंभर क्षेत्र विकास समिति (बीडब्ल्यूडीएस) के जरिए किया जा रहा है। इसका लक्ष्य जलसंभर क्षेत्रों के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सुधार है। इसमें सिंचाई के लिए वर्षाजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भूजल संभरण, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, फसलों की उपज बढ़ाना, परितंत्रीय संतुलन को बढ़ावा देना, और सामुदायिक आजीविकाओं में वृद्धि करना है। योजना का क्रियान्वयन बांका, मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर, भागलपुर, बक्सर और बेगूसराय जैसे विभिन्न जिलों में किया जा रहा है।

2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- ♦ मात्स्यकी विकास के जरिए जल की गुणवत्ता और परितंत्र के स्वास्थ्य में सुधार : इसकी महत्वपूर्ण योजनाओं में नए तालाबों का निर्माण, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार, मछली पालन तालाबों का विकास, समेकित तालाब प्रबंधन, जलाशय मात्स्यकी विकास, आर्द्धभूमियों में पेन/केज का अधिष्ठापन आदि शामिल हैं। अनुपयुक्त भूमि एवं आर्द्धभूमियों में तालाब विकसित करने की योजना है जिससे भूजल का स्तर बढ़ाने के साथ-साथ परितंत्रीय संतुलन बनाने और मछली पालन की गतिविधियों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। मात्स्यकी विकास से जल की गुणवत्ता बरकरार रखने और उसके जरिए जैव-विविधता बढ़ाने तथा परितंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इन पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इनके तकनीकी विवरणों के बारे में किसानों को जागरूक बनाने के लिहाज से उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- ♦ मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना : इस योजना का लक्ष्य राज्य में निजी और सरकारी चौरों (आर्द्धभूमियों) के समेकित विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए चौर विकास का समेकित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें मछली का उत्पादन, कृषि, बागवानी, और कृषिवानिकी शामिल हैं। इससे अन्य कृषि उत्पादों के साथ-साथ 50,000 टन अतिरिक्त मछली उत्पादन होने का अनुमान है। आधुनिक प्रौद्योगिकी के समेकन से मछली पालकों के लिए नई संभावनाएं उपलब्ध होंगी जिससे उनके रोजगार और आमदनी को बल मिलेगा। वर्ष 2022-23 में योजना के तहत 873.19 लाख रु. के वित्तीय परिव्यय से 346.41 हेक्टेयर चौर क्षेत्रों का विकास किया गया।

3. भवन निर्माण विभाग

- ♦ पर्यावरण के अनुकूल निर्माण : राज्य में पर्यावरण के अनुकूल निर्माण संबंधी व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक ईंटों की जगह फ्लाई एंश की ईंटों का उपयोग, सोलर पैनलों और मलजल उपचार संयंत्रों के उपयोग को बढ़ावा जैसी अनेक पहलों की जा रही हैं। निर्माण के कारण प्रभावित पेड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाना और नए पेड़ लगाना राज्य में वानिकीकरण संबंधी प्रयासों का हिस्सा है।
- ♦ वर्षाजल संचयन को बढ़ावा : भूजल संभरण के लिए निर्माणाधीन और निर्मित सरकारी भवनों में वर्षाजल

संचयन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 से 2021–22 तक तय लक्ष्य को पूरा करते हुए सरकारी आवासीय और अनावासीय भवनों में लगभग 6790 रूफटॉप इकाइयों को लगाने का काम पूरा किया गया गया।

- ◆ **ऊर्जा बचाने के उपायों का उपयोग :** ऊर्जा की खपत घटाने के लिए राज्य में दक्षता संबंधी उच्च रेटिंग वाले एलईडी बल्ब और वातानुकूलकों के साथ-साथ समय पर ऑफ हो जाने वाले विद्युत उपकरणों/ बल्बों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पटना में सरकारी भवनों और कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं जिसे बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान (ब्रेडा) द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है और सरकारी भवनों से भिन्न भवनों के लिए ब्रेडा द्वारा 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' दिया जा रहा है। प्रकाश और वातानुकूलन के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए विभाग गत कुछ वर्षों से अपने प्रतिष्ठित और अत्याधुनिक भवन परियोजनाओं में हरित अवधारणाओं को शामिल कर रहा है। हरित भवन अवधारणा का उपयोग करके निर्माण करने के लिए पटना स्थित बिहार संग्रहालय को समेकित पर्यावास मूल्यांकन (गृहा) द्वारा हरित रेटिंग के तहत चार-सितारे (फोर स्टार) दिए गए हैं। पटना में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी को गृहा द्वारा पांच सितारे मिलना तय है। नई दिल्ली के द्वारका में बिहार सदन का निर्माण हरित अवधारणा के आधार पर किया गया है जिसमें ऊर्जा संरक्षण के लिए उदग्र वातानुकूलन प्रणाली और गर्म जल की आपूर्ति के लिए सोलर हीटर का उपयोग किया गया है।
- ◆ **नेट जीरो अपशिष्ट निस्प्राव प्रणाली :** कुछ भवनों में नेट जीरो अपशिष्ट निस्प्राव प्रणाली का क्रियान्वयन किया गया है जिससे प्रयुक्त गंदे पानी को उपचारित करने के बाद उसका उपयोग शौचालय में फ्लश करने और बागवानी के लिए हो पाता है। स्वच्छता और अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की बर्बादी में कमी के लिए सरकारी भवनों और कार्यालयों के स्नानागारों और शौचालयों में सेंसर लगाए जा रहे हैं जबकि भूजल को नियंत्रित रखने के लिए वैकल्पिक बोरिंग की व्यवस्था की जा रही है।

4. **ऊर्जा विभाग**

- ◆ **बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) :** गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के विकास देश में 1970 के दशक में तेल के कारण लगे झटकों के चलते ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भरता और स्वच्छ वातावरण की जरूरत पर तथा ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिए वाहकों के बतौर नवीकरणीय ऊर्जा पर बल दिया गया। ब्रेडा नवीकरणीय ऊर्जा संबंधी नीतियों का निर्माण और निष्पादन करने, लक्ष्य निर्धारित करने, सब्सिडी देने और विनियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करता है। वित्तवर्ष 2024–25 के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम इस प्रकार हैं:
- ◆ **ग्रिड-संपर्कित रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने सरकारी भवनों की छतों पर 25 मेगावाट पीक ग्रिड संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 127 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

- ♦ ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड-संपर्कित/ हाइब्रिड संयंत्रों में बदलना : मुख्यमंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत 3.08 मेगावाट पीक ऑफ-ग्रिड रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों को ग्रिड संपर्कित/ हाइब्रिड सौर ऊर्जा संयंत्रों में बदला जाएगा जिस पर राज्य सरकार के कुल 2.70 करोड़ रु. व्यय होंगे। इसमें पंचवर्षीय व्यापक अनुरक्षण संविदा (सीएमसी) के जरिए सौर ऊर्जा संयंत्रों का अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य और नेट मीटिंग भी शामिल किया गया है।
- ♦ सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना : राज्य में 500 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 1.95 करोड़ रु. का व्यय किया जाना है।
- ♦ ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना : इस प्रस्ताव में आपात प्रयोजनों के लिए 1 मेगावाट पीक का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना शामिल है जिसके लिए राज्यांश 1.60 करोड़ रु. है।
- ♦ बिहार राज्य जलविद्युत निगम : बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) जलविद्युत की संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार का पर्यवेक्षण करता है। अभी राज्य में 13 अतिलघु और लघु जलविद्युत परियोजनाएं चल रही हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट की है। निगम अरबल, औरंगाबाद, रोहतास, सुपौल और पश्चिम चंपारण में 11 और अतिलघु जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है जिनकी कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है।

5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

- राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के शमन, प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोतों यथा नदी, तालाब, आर्द्रभूमि, पर्यावरण, वन्यप्राणियों की सुरक्षा एवं संरक्षण, जैव विविधता की सुरक्षा इत्यादि के लिये प्रतिबद्ध है। हरित अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु लक्ष्य को निर्धारित कर योजनाओं का सूत्रण किया जा रहा है। इस हेतु वानिकी समर्पित आजीविका यथा कृषि वानिकी, निजी पौधशालाओं की स्थापना, पौधारोपण, ईको-टूरिज्म, पार्क विकास एवं प्रबंधन इत्यादि के माध्यम से रोजगार तथा हितधारकों को आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ♦ जल-जीवन-हरियाली अभियान : राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 2019 में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत जल संरक्षण, पर्यावरण की पुनर्स्थापना और समग्र सतत विकास की प्राप्ति के लिए लक्षित व्यापक कार्यक्रम है। विभाग वनीकरण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन के लिए सक्रियतापूर्वक व्यवस्थित प्रयास कर रहा है। हरित आच्छादन और पर्यावरण का स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए कृषि रोडमैप और जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत बड़े पैमाने पर वनीकरण के विभाग के प्रयासों में हितधारकों को शामिल किया गया है।

◆ प्राकृतिक वन क्षेत्र के बाहर वानिकी

- जल-जीवन-हरियाली अभियान के अलावा, राज्य के नहरों/नदी तटबंधों और सड़कों किनारे तथा जिला/अनुमंडल/प्रखंड मुख्यालयों को जोड़नेवाली सड़कों पर में वृक्षारोपण और वानिकी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वानिकी के तहत किसानों की रैयती जमीन पर वृक्षारोपण और पौधशालाएं लगाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और फर्नीचर तथा अगरबत्ती जैसे बांस उत्पादों के निर्माण के लिए हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **कैंपा प्राधिकरण :** भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैंपा प्राधिकरण के माध्यम से बनों के विकास एवं मृदा जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य सरकार को राशि उपलब्ध करायी जाती है। इसका लक्ष्य गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वनभूमि के उपयोग से हुए परिस्थितकीय क्षति की क्षतिपूर्ति करना है। कैंपा निधि का 80 प्रतिशत राशि का उपयोग बनीकरण और बन्यजीव पर्यावास में सुधार के लिए और शेष राशि का उपयोग अवसंरचना और क्षमता निर्माण के लिए किया जाता है। वर्ष 2022-23 में कुल 1.59 लाख पौधारोपण के लक्ष्य विरुद्ध 1.53 लाख पौधे लगाए गए जबकि 2023-24 में अभी तक 18.89 लाख पौधे लगाए जाने हैं।
- ◆ **गारलैंड ट्रैंचिंग :** जल और जैव-विविधता के संरक्षण के लिए बिहार के दक्षिणी जिलों के बनों में गारलैंड ट्रैंचिंग की योजना शुरू की गई है। इसके तहत 6.69 लाख घनमीटर से भी अधिक वर्षाजल संग्रहित करके इन महत्वपूर्ण परितंत्रों के संरक्षण के लिए योगदान किया गया है।
- ◆ **प्राकृतिक बनों का विकास :** अनुशंसित वनभूमि पर मौजूद पेड़-पौधों के रखरखाव के साथ-साथ मिट्टी और जल संरक्षण के प्रयास और गार्लैंड ट्रैंचिंग की जा रही है।
- ◆ **प्लांट टिस्सू कल्चर प्रयोगशाला :** प्रयोगशाला की स्थापना और विकास के जरिए गुणवत्तापूर्ण पौधे तैयार करने की योजना है जिनका उपयोग वृक्षारोपण कार्य में किया जा सके।
- ◆ **राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (एसएपीसीसी) :** पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का प्राकृतिक संसाधनों और जैव-विविधता पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। पेरिस समझौते में गर्म हो रही धरती के औसत तापमान वृद्धि को 1.50 सेल्सियस के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विश्व के सभी देशों में इनके दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो रहे हैं। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (State Action Plan on Climate Change- SAPCC) को पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। जलवायु संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जलवायु विवरणी और Vulnerability Assessment को बिहार मौसम सेवा केन्द्र, योजना एवं विकास विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है।
- ◆ **जलवायु अनुकूल एवं निम्न कार्बन विकास-पथ :** देश की अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता के अनुरूप बिहार को 2070

तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए व्यापक रणनीति के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा, उद्योग, ठोस अपशिष्ट, परिवहन, और निर्माण जैसे क्षेत्रों पर फोकस कर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का विश्लेषण किया जा रहा है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक एवं अनुमानित परिदृष्टों के आधार पर कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, मानव स्वास्थ्य तथा आपदा प्रबंधन जैसे सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के लिए अरक्षितता विवरणी (Vulnerability Profile) विकसित करने पर फोकस किया गया है।

- ◆ **जलवायु परिवर्तन अधिगम प्रयोगशाला (Climate Change Learning Lab)** : वर्ष 2022 में शुरू की गई यह प्रयोगशाला जर्मन विकास अभिकरण, GIZ द्वारा सहायता-प्राप्त संवाद मूलक प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य बिहार में जलवायु परिवर्तन के साथ खास तौर से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाना है।
- ◆ **आर्द्ध-भूमि संरक्षण एवं विकास** : राष्ट्रीय आर्द्ध-भूमि दशकीय परिवर्तन एटलस (2021) में बिहार में 2.25 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली 4526 आर्द्ध-भूमियों को सूचीबद्ध किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्ध-भूमि शाखा तथा स्टेट वेटलैंड ऑथरिटी रामसर साईट सहित आर्द्ध-भूमियों की पहचान और विकास करने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय साझीदारों के साथ मिलकर काम करते हैं। प्रथम चरण में 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 133 आर्द्ध-भूमियों को प्राथमिकता दी गई है। आर्द्ध-भूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली 2017 के अनुरूप इनमें से 60 आर्द्ध भूमियों के संक्षिप्त दस्तावेज और स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके उन्हें वेटलैंड इंडिया पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।
- ◆ **एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध** : राज्य में प्लास्टिक के कैरी बैग और एकल उपयोग में आने वाले अन्य प्लास्टिक के सामानों पर व्यापक प्रतिबंध लागू किया गया है जिसका लक्ष्य प्रदूषण के न्यूनीकरण एवं पर्यावरण की रक्षा करना है। वर्ष 2018 से राज्य के सभी स्थानीय नगर निकायों एवं पंचायतों में लागू है। यह प्रतिबंध 2022 में संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 और पर्यावरण वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय की 2021 की अधिसूचना के अनुरूप है।
- ◆ **इको-टूरिज्म और पार्कों का विकास** : सभी जिलों में पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास तथा समग्र परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पार्कों के विकास के लिए अनेक पहलें की गई हैं। राजगीर में 250 एकड़ क्षेत्रफल में फैला नेचर सफारी तथा 480 एकड़ क्षेत्रफल में फैला जू-सफारी राज्य में इको-टूरिज्म के दृष्टिकोण से पहला सफारी पार्क है। इससे एक तरफ जहां काफी संख्या में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पारिस्थितिकीय विकास को बल मिल रहा है।
- ◆ **प्रदूषण नियंत्रण** : राज्य में प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं।
 - **परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण (Ambient Air Quality Monitoring)**: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य के 23 जिलों में 35 सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों (सीएएक्यूएमएस) के

जरिए परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर देशी तकनीक के उपयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके लिए राज्य में 38 जिलों में 534 प्रखंडों में कम लागत वाली संवेदी यंत्र संसर लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त पटना में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय में भी संवेदी यंत्र स्थापित किया गया है। इन यंत्रों के आंकड़े और उपग्रहीय आंकड़ों का उपयोग करके परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाता है। यह परियोजना तीन-वर्षीय शोध एवं विकास कार्यक्रम का हिस्सा है।

- शोर का अनुश्रवण :** लाउडस्पीकर, परिवहन वाहनों, निर्माण गतिविधियों, जेनरेटर सेट, उद्योगों, और आतिशबाजियों जैसे विभिन्न स्रोतों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर का अनुश्रवण किया जा रहा है जिससे दिन और रात, दोनों में स्वस्थ ध्वनि स्तर सुनिश्चित करने में मदद मिल सके।

♦ वन्यजीव सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रबंधन

- वन्यजीव पर्यावास विकास कार्यक्रम :** यह कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका फोकस राज्य में अभयारण्यों और बाहरी क्षेत्रों में अवस्थित वन्यजीवों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन, तथा मनुष्यों और वन्यजीवों के बीच टकराव बचाने पर है।
- विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य :** देश का एकमात्र डॉल्फीन (सूंस) अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में है। वर्ष 2018-19 में गंगा, गंडक, कोशी, परमार, मेची और महानंदा नदियों में किए गए सर्वेक्षण में 1464 डॉल्फीनों का पता चला था। इस अभयारण्य का विस्तार भागलपुर जिले में गंगा नदी में सुल्तानगंज से कहलगांव तक 60 किलोमीटर में है।
- वाल्मीकि बाघ आरक्ष :** यह परियोजना बहुमुखी पहल है जिसका लक्ष्य वनों, वन्यजीवों और स्थानीय समुदायों की रक्षा करना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित हैं। वर्ष 2023-24 में कार्यक्रम के लिए राज्यांश 371.10 लाख रु. और केंद्रांश 1112.00 लाख रु. था। परियोजना का लक्ष्य वनों की रक्षा, आरक्ष क्षेत्र का प्रबंधन, स्थानीय समुदायों में वन्यजीव संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, अवैध शिकार और वन्य अपराधों पर रोक लगाना तथा बाघ आरक्ष में पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देना है।
- गज परियोजना :** इसके तहत हाथियों के पर्यावास की रक्षा के लिए पश्चिम चंपारण जिले में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है। इसका लक्ष्य वनों में हाथियों के प्रवास के लिए अनुकूल बातावरण निर्माण है। हाथियों की रक्षा, संरक्षण और समीपवर्ती राज्यों से आने वाले हाथियों के साथ मनुष्यों

के टकराव पर नियंत्रण के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना एवं गज परियोजना को संयुक्त कर एकल योजना- प्रोजेक्ट टाइगर एवं गज क्रियान्वित की जा रही है।

6. स्वास्थ्य विभाग

- ◆ **स्वास्थ्य केंद्रों का हरितीकरण :** बिहार के जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में जल सुरक्षा एवं सुस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों में वर्षाजल संग्रहण की व्यवस्था की गई है।
- ◆ **समेकित पर्यावास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग (गृहा) द्वारा हरित भवन :** राज्य में पर्यावरण-अनुकूल और सुस्थिर स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों के निर्माण के लिए हरित रेटिंग प्रणाली वाली गृहा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बिहार चिकित्सा सेवा एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) हरित भवन क्रांति का नेतृत्व कर रहा है।

7. उद्योग विभाग

बिहार जैव-इंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति (2023)

- ◆ राज्य सरकार द्वारा बिहार ईथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की जगह बिहार जैव-इंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 लाया गया है जिसके तहत राज्य में कुल 17 ईथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना की जा रही है।
- ◆ इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्रीन-फील्ड न्यू 100 प्रतिशत स्टैंडअलोन ईथेनॉल एवं कम्प्रेस्ड बायोगैस/बायोसीएनजी0 उत्पादन इकाइयों का राज्य में सर्वांगिण विकास करना और उनके निवेशकों, किसानों तथा अन्य संलग्न हितधारकों को लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय जैव-इंधन नीति 2018 और राष्ट्रीय जैव-इंधन समन्वय समिति के द्वारा स्वीकृत इकाइयों के लिए शत प्रतिशत ईथेनॉल और दावित बायोगैस का उत्पादन करना अनिवार्य है।
- ◆ इस नीति के तहत राज्य में सिर्फ इंधन श्रेणी के ईथेनॉल का उत्पादन करने वाली नई इकाइयों और कम्प्रेस्ड बायोगैस/बायो-सीएनजी इकाइयों के लिए अनुदान के लाभों के अलावा सुविधाओं और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।
- ◆ इसका मुख्य लक्ष्य ईथेनॉल और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराने वाले किसानों एवं संलग्न फीड-स्टॉक की आय बढ़ाना है। साथ ही, इंधन श्रेणी स्टैंडअलोन इकाइयों और कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

8. लघु जल संसाधन विभाग

- ◆ **बड़े तालाबों और आहर-पड़नों को पुनर्जीवित करना :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पूरे राज्य में

एक एकड़े से अधिक रकवा वाले आहर-पइनों और पांच एकड़े से बड़े रकवा वाले तालाबों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। साथ ही, चेक डैम/ वीयर और नालों का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सार्वजनिक भूमि पर बड़े वॉटर बॉडिज एवं पहाड़ों की तलहटी में गारलैंड ट्रेंच का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सिंचाई सुविधाओं, वर्षाजल संचयन और भूजल पुनर्भरण का कार्य हो सकेगा।

- ◆ **सिंचाई सुविधाएं :** फसलों की उपज और किसानों की आय बढ़ाने के लिए पानी की उपलब्धता सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। जल-जीवन-हरियाली अभियान और 'हर खेत को सिंचाई का पानी' योजनान्तर्गत अभी तक 2143 आहर-पइन/ उद्धुह सिंचाई/ गारलैंड ट्रेंच और तालाब की योजनाएं पूरी की गई हैं और 288 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं से 2,41,501 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा और 992 लाख घनमीटर जल संचयन क्षमता बहाल करने में मदद मिली है। वर्ष 2023-24 में अभी तक आहर-पइन/ तालाब/ चेक डैम और उद्धुह सिंचाई की 729 परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है।
- ◆ **अन्य क्रियाकलाप :** वॉटर बॉडिज में जल संचयन किया जायेगा, जिसका इस्तेमाल सिंचाई की कमी वाले समय (Lean Period) में सिंचाई कार्य में होगा, भू-गर्भ जल का पुनर्भरण होगा साथ ही मछली पालन भी किया जा सकेगा।

9. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी)

- ◆ **पर्यावरण-अनुकूल निर्माण :** लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तावित/निर्माणाधीन योजनाओं में यथासंभव पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है। हर घर नल का जल योजना के प्रारंभिक चरणों से ही ऐसे सामग्रियों का प्रयोग किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसके साथ-साथ योजना स्थल के आस-पास वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ◆ **भू-जल संरक्षण :** विभाग कार्बन प्रच्छादन (सिक्वेस्ट्रेशन) और पर्यावरण की पुनःस्थापना के लिए वृक्षारोपण को बढ़ावा देता है जबकि सार्वजनिक कुँओं और सोख्ता गड्ढे वर्षाजल संचयन और भू-जल संभरण को बढ़ावा देते हैं जिससे जल संरक्षण बढ़ता है।
- ◆ **सामुदायिक संलग्नता :** जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत हर महीने के पहले वृहस्पतिवार को वार्ड स्तर पर जल चौपाल बैठकों के आयोजन से जल संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ती है, जिससे पेयजल की बर्बादी घटती है और स्वच्छ जल बढ़ता है।

10. पथ निर्माण विभाग

आधारभूत संरचना विकास के मामले में खास कर सड़क निर्माण क्षेत्र में बिहार तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक है। वर्तमान में राज्य सामाजिक और पर्यावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तीव्र शहरीकरण, मानववास स्थल में बदलाव को गति दे रहा है, जिससे भूमि उपयोग, जल की गुणवत्ता में ह्वास, जैव विविधता में ह्वास, प्रदूषण में वृद्धि एवं मानव

स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों में बढ़ोत्तरी हुई है। उच्च जनसंख्या घनत्व और पथ निर्माण के लिए जमीन की बढ़ती मांग ने पर्यावरण जोखिम में वृद्धि हुई है। बिहार राज्य पथ विकास निगम द्वारा पथ निर्माण परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर होनेवाले नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं :-

- ◆ **वृक्ष संरक्षण को प्राथमिकता :** इसके तहत सड़कों के एलाइनमेंट को इस तरह से अंतिम रूप दिया जाता है कि पेंड़ नहीं कटे या कम-से-कम पेड़ कटें। पेंड़ कटने की स्थिति में क्षतिपूरक बनारोपण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का राशि का भुगतान किया जाता है। प्रस्तावित मार्ग से अलग हटकर पेंड़ों की कटाई नहीं की जाती है तथा पेंड़ बचाने हेतु डिजाइन में बदलाव किए जाते हैं, जिससे पेड़ों की क्षति कम हो। वर्तमान में पेंड़ों को उखाड़कर दूसरी जगह लगाने का कार्य भी किया जा रहा है।
- ◆ **वायु और जल गुणवत्ता अनुश्रवण :** परियोजना से संबंधित निविदा/ संविदा के दस्तावेजों में वायु, ध्वनि और पानी के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए उपाय भी शामिल किए जा रहे हैं ताकि वे संवेदकों को इन मानकों का पालन बाध्यकारी हो तथा इसका अनुश्रवण परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा किया जाता है। सड़क निर्माण के दौरान भू-जल सिंचाई गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणालियों एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- ◆ **ध्वनि प्रदूषण से बचाव :** आवासीय क्षेत्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, और धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलों जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए 'हॉर्न नहीं' के सूचना पट और शोर अवरोधक बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
- ◆ **पथ निर्माण के दौरान धूल का प्रबंधन :** सड़क निर्माण के दौरान उड़ने वाली धूल को नियंत्रित रखने के लिए वाटर स्प्रिंकलर और हरे पर्दों का उपयोग किया जा रहा है ताकि धूल नहीं उड़े। वहीं, क्रशर का उपयोग करते समय भी धूल उड़ने से रोकने के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली लगाई जाती है।

11. ग्रामीण विकास विभाग

- ◆ **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान :** इस जन जागरण अभियान में केन्द्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन और राज्य वित्त संपोषित लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित किया गया है। इसके पहले चरण में 122.15 लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए गए।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण (2020-21 से 2024-25) में 'खुले में शौच से मुक्ति' का स्थायीत्व बनाये रखते हुए ठोस एवं तरह अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से गांवों को "पूर्णतः स्वच्छ" बनाया जाना लक्षित है एवं ग्राम पंचायतों को ओडीएफ-प्लस की हैसियत दिलाना है।

दूसरे चरण में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता उपलब्ध हो। नवंबर 2023 तक 13.25 लाख लाभार्थियों अपने लिए शौचालयों का खुद निर्माण कराया है। अभियान के दूसरे

चरण में 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि में 6 लाख शौचालयों, 533 सामुदायिक स्वच्छता इकाइयों तथा एक परिसर एवं मलजल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के निर्माण की और जन जागरूकता अभियान चलाने की योजना है। परियोजना के तहत प्रबंधन, दूषित जल प्रबंधन, गीला कचरा प्रबंधन, औपचारिक शिक्षा और संचार के लिए 1506 करोड़ रु. के व्यय की जरूरत होगी।

- ◆ **ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन :** इसमें मुख्यतः घर-घर से ठोस कचरे का संग्रहण और निष्पादन तथा नालियों की सफाई शामिल है। अभी 67,592 वार्डों में ठोस कचरे का घर-घर से संग्रहण करके निष्पादन किया जा रहा है जो ठोस अपशिष्ट के प्रति व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही, ग्राम पंचायत स्तर पर कूड़ा इकट्ठा करने और उसके निपटान के लिए 5337 ई-रिक्शों और 73,147 पेडल रिक्शों का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ, 3325 ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (डब्ल्यूपीयू) की स्थापना से स्थानीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा मिला है और दूर-दराज की लैंड-फिल पर भरोसा करने की जरूरत घटी है। साथ ही, तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 1.12 लाख सामुदायिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया गया है।
- ◆ **गोबरधन योजना :** इस योजना के तहत गाय-भैंस के गोबर और कृषि अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। जिला स्तर पर बायोगैस उत्पादन के लि 14 गोबरधन इकाइयों के निर्माण से कृषि और पशु अपशिष्टों को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलने में मदद मिली है।
- ◆ **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) :** यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उत्पादक क्षमता में वृद्धि और दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार पैदा करने में सहायक रही है।
 - **जल संरक्षण :** आहर और पझन जैसे पारंपरिक वॉटर बॉडिस को पुनर्जीवित और संरक्षित करने से प्रभावी जल प्रबंधन हुआ है, जल-स्तर में वृद्धि हुई है, कृषि की उत्पादकता बढ़ी है और निर्वनीकरण की प्रक्रिया रुकी है। इसी प्रकार, सामुदायिक और व्यक्तिगत लाभार्थियों के तालाबों के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण, पानी का दक्षतापूर्ण उपयोग, जल-स्तर बढ़ाने और मत्स्य पालन जैसी आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सुपौल और रोहतास जिलों में मनरेगा के तहत स्थानीय नालों की उड़ाही, सफाई और नहरों को स्थानीय नदियों के साथ जोड़ने के कई दृष्टांत ऐसे हैं, जिसे अन्य जगहों पर लागू करने की आवश्यकता है। इससे जल-जमाव की समस्या दूर करने में मदद मिली है। इससे कृषि, आजीविका और ग्रामीण आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव हो रहा था। साथ ही, मनरेगा के तहत बड़े पैमाने पर चेक डैम निर्माण का कार्य भी किया गया है, जिससे सतही जल का व्यर्थ बहना रुका है और उसका भंडारण तथा सिंचाई के लिए उपयोग सुनिश्चित हुआ है।
 - **वृक्षारोपण के जरिए हरित आच्छादन में वृद्धि :** मनरेगा के तहत एक प्रमुख गतिविधि वृक्षारोपण के जरिए हरित आच्छादन बढ़ाने की है। पौधों का चयन स्थानीय उपयोग के आधार पर किया जाता है और पौधों के बचाव के लिए घेराबंदी तथा वनपोषकों द्वारा देखरेख की जाती है। पौधे जीविका द्वारा संचालित ‘दीदी की नर्सरी’ से लिए जाते हैं।

- **प्रदूषण न्यूनीकरण :** प्रभावी अपशिष्ट प्रसंस्करण, दुबारा उपयोग लायक चीजों के उपयोग और अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान के लिए अनेक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाइयों (डब्ल्यूपीयू) का निर्माण किया गया है।
- **भविष्योन्मुखी हस्तक्षेप :** जब तक नए विचारों और संभावनाओं का अकुशल मजदूरों के लिए दिहाड़ी रोजगार पैदा करने की प्रक्रिया के साथ-साथ बेहतर पर्यावरण के लिए भी योगदान होता है तब तक मनरेगा में उनका स्वागत है। प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन से संबंधित कार्यों का मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआइएस) का व्यवस्थित और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

12. ग्रामीण कार्य विभाग

- ◆ **बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 :** राज्य में ग्रामीण पथों की नियमित और व्यवस्थित मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गई है। इस नीति के तहत सड़क के किनारे उपलब्ध भूमि पर वृक्षारोपण का प्रावधान प्राक्कलन में किया गया है। वृक्षारोपण को प्रभावी बनाने के लिए प्रति पेड़ की दर से 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उसी समय और शेष 70 प्रतिशत राशि का पांच वर्षों तक रख-रखाव करने के बाद भुगतान किया जाता है, जिसमें मृत पौधों की संख्या घटा दी जायेगी। इससे राज्य में प्रभावी वृक्षारोपण सुनिश्चित होगा। वर्ष 2023-24 में लगभग 26,514.93 किमी सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगाया गया है। अभी कुल 33,429.06 किमी लंबाई वाली 12,175 सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा 2024-25 में लगभग 9000 किमी लंबाई में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण किये जाने का लक्ष्य है।
- ◆ **सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग :** राज्य में कोलतार वाली सड़कों के निर्माण में कोलतार के 6 से 8 प्रतिशत वजन तक प्लास्टिक कचरे के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीनों चरणों के तहत 4160.97 किमी की कुल लंबाई वाली कुल 1040 सड़कों का निर्माण स्वीकृत हुआ है जिसमें से 819 सड़कों (कुल लंबाई 2708.80 किमी) का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

13. गन्ना उद्योग विभाग

- ◆ **बीज अनुदान :** मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य में चीनी मिलों के जरिए किसानों को रियायती दर पर ईख के 10 प्रभेदों के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराकर ईख का उत्पादन, उत्पादकता और चीनी प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ाना है। इन 10 चुनिंदा प्रभेदों के प्रमाणित बीज खरीदने के लिए सामान्य तबके के किसानों को प्रति किवंटल 210 रु. और अनुसूचित जाति/जनजाति तबके के किसानों को 240 रु. प्रति किवंटल सब्सिडी दी जाती है।

14. पर्यटन विभाग

- ◆ **इको-टूरिज्म की संभावना :** बिहार में 50 से भी अधिक बाघों का आश्रय स्थल रहे वाल्मीकिनगर बाघ आरक्ष के साथ-साथ नदियों, झीलों और जलाशयों को इको-टूरिज्म के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। दक्षिण बिहार के कैमूर

और रोहतास जिले में अनेक जलाशय और जलप्रपात हैं जबकि मुंगेर, जमुई और बांका जिले नयनाभिराम दृश्यावलियों से संपन्न हैं। जलक्रीड़ा, नौकायन, ट्रैकिंग और साइकल मार्ग, रात्रि शिविर और मोटरसाइकल यात्रा आदि विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभाग पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ सहयोग कर रहा है।

- ◆ **राजगीर में नए भवनों का निर्माण :** राजगीर में स्थापित नए एवं पुराने भवन रोपवे के पास पुरानी संरचनाओं को तोड़कर उनके स्थान पर एक नया एकीकृत भवन बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण एवं रख-रखाव के दौरान तथा उसके पश्चात वन्य प्राणी आश्रयणी सुरक्षित रह सके। इस भवन का उपयोग इको पर्यटन के लिए किया जायेगा। राजगीर रज्जू मार्ग एवं उसके आस-पास क्षेत्रों के सौंदर्योंकरण हेतु 16,38,73,000 रु. की योजना स्वीकृत है। इस योजना की कार्यकारी एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग है।
- ◆ **राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटन ढांचों का विकास :** राजगीर के घोड़ा-कटोरा में पर्यटन ढांचों के विकास के लिए 2023-24 में 11,43,15,000 रु. स्वीकृत किए गए हैं जिसमें पार्किंग क्षेत्र, बूम बैरियर, प्रतीक्षा छावनी, पैविलियन, मुख्य प्रवेशद्वार, वाच टावर और राजगीर जू सफारी का प्रवेश दीवार शामिल हैं।
- ◆ **गुरपा पहाड़ पर पर्यटन विकास :** वर्ष 2023-24 में गया जिले के फतेहपुर प्रखंड में स्थित गुरपा पहाड़ पर सुविधाओं के विकास की योजना है जिसके तहत 9,17,52,000 रु. के व्यय से तीर्थयात्री विश्रामगृह, शौचालय, साइनेज, हाइ मास्ट लाइट, संपर्क पथ, पुलिया और प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण शामिल है।
- ◆ **इको-टूरिज्म की भविष्य की योजनाएं :** पारिस्थितिक पर्यटन की योजनाओं के लिए प्रस्ताव विकसित किए जा रहे हैं जिनमें रोहतास जिले में रोहतासगढ़ किला, धुआं कुंड, माझर कुंड, शेरशाह के किले के समीप पर्यटन विकास, तुतला भवानी मंदिर के समीप पर्यटन सुविधाओं का निर्माण, गुप्ताधाम में पर्यटन सुविधाओं का निर्माण और जीर्णोद्धार तथा गया जिले में दुंगेश्वरी पहाड़ी पर विशाल बुद्ध मूर्ति का निर्माण शामिल हैं।

15. परिवहन विभाग

- ◆ **बिहार स्वच्छ इंधन योजना**
 - **डीजल-चालित तिपहिया वाहन पर प्रतिबंध :** पटना नगर निगम और उसके आसपास के नगर निकायों यथा- दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद की सीमा में 31 मार्च, 2022 से डीजल से चलने वाले तिपहिया वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। इससे वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिली है। गया और मुजफ्फरपुर नगर निगमों की सीमा में भी 30 सितम्बर, 2023 से डीजल-चालित तिपहिया वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
 - **स्वच्छ वाहनों को प्रोत्साहन :** इस योजना के तहत डीजल या पेट्रोल से चलने वाले तिपहिया वाहन की जगह सीएनजी या बैटरी से चलने वाले तिपहिए खरीदने या पेट्रोल से चलने वाले तिपहियों/ मोटर कैब/

मैक्सी कैब में सीएनजी किट पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत कुल 1505 लाभार्थियों के बीच 4,01,20,000 रु. का अनुदान दिया गया है।

- **पटना में डीजल-चालित सिटी बसों पर प्रतिबंध :** 30 सितंबर, 2023 से पटना और आसपास के शहरी क्षेत्रों में डीजल-चालित सिटी बसों को चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं 121 डीजल चालित बसों को सीएनजी बसों से प्रतिस्थापित कराने पर वाहन मालिकों को प्रति वाहन 7.50 लाख रु. की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

◆ **वाहन उत्सर्जन में कमी**

- **12 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों पर हरित कर लगाना :** बिहार वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन करके तिपहिया वाहन, ट्रैक्टर तथा ट्रैलर को छोड़कर शेष निबंधित वाहनों की उम्र 12 वर्ष से अधिक हो जाने पर कुल कर का 10 प्रतिशत अतिरिक्त हरित कर लगाने का प्रावधान किया गया है।
- **15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहनों के परिचालन पर रोक :** जनहित को ध्यान में रखते हुए वाहनों द्वारा उत्सर्जन से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 से 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **15 वर्ष से अधिक पुराने सभी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध :** पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगौल नगर परिषद और फुलवारीशरीफ नगर परिषद में अधिक प्रदूषित गैसों का उत्सर्जन करने वाले 15 साल से अधिक पुराने सभी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- **वाहन स्क्रैपिंग नीति :** वाहन जनित प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा सभी प्रकार के निबंधित वाहन जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है या किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यवसायिक वाहन जो परिचालन के योग्य हो परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हैं, वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदण्ड में राहत देते हुए यह योजना लाई गई है।
- ◆ **बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की डीजल बसों में परिवर्तन और सीएनजी बसों की खरीद :** राज्य में वायु प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभाग द्वारा 2019-20 से 2021-22 के बीच 41 डीजल बसों को सीएनजी बसों में बदल दिया गया है। वहीं, 2020-21 और 2021-22 में कुल 100 गैर-वातानुकूलित और 25 वातानुकूलित सीएनजी बसों की खरीद की गई। अभी बेड़े में 166 सीएनजी बसें चल रही हैं।
- ◆ **विद्युत बसों का परिचालन :** बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा 2020-21 से पटना के शहरी क्षेत्रों में

फेम-2 के तहत 25 विद्युत बसें चलाई जा रही है। इसके लिए कुल 104.58 करोड़ रु. के व्यय से में 0- अशोक लीलैंड से सात वर्षों के लिए एकरानामा किया गया है। सभी 25 विद्युत बसों को हरित इंधन से शक्ति मिलती है। इस परिवहन व्यवस्था का लक्ष्य परिवेशीय वायु गुणवत्ता बरकरार रखना है। इसके अतिरिक्त आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत राज्य के छः शहरों - पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णियां - के लिए सकल व्यय संविदा (जीसीसी) के तहत कुल 400 विद्युत बसें अधिप्राप्ति की योजना है। भारत सरकार को प्रस्तावित इस योजना को राज्य स्तर पर सिद्धांत रूप में स्वीकृति मिल गई है।

- ◆ **विद्युत कारों का उपयोग :** वाहनों के उत्तर्जन से होने वाले प्रदूषण से मुकाबले के लिए विभाग द्वारा विद्युत कारों के उपयोग को प्रोत्साहित करने का प्रथम चरण शुरू किया गया है और विद्युत वाहनों के निबंधन में पथ कर में 50 प्रतिशत छूट दी गई है।
- ◆ **मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना :** वर्ष 2018 में शुरू इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन सुविधाएं और लोगों, खास कर चंचित तबकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना के तहत वाहनों की खरीद पर हर पंचायत में चयनित लाभार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रु. है। विभाग ने चयनित लाभार्थियों को ई-रिक्षा की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसकी अधिकतम सीमा 70,000 रु. है।
- ◆ **प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना :** वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी के लिए मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी को इसके लिए लाइसेंस जारी करने हेतु शक्ति का प्रत्यायोजन किया गया है। अभी तक राज्य में कुल 1488 प्रदूषण जांच केंद्र खोले गए हैं। प्रदूषण जांच किए गए वाहनों के आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले वाहनों की जांच आसान बनाने के लिए वाहन जांच प्रमाण-पत्र ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं।
- ◆ **सीएनजी फिलिंग केंद्रों की स्थापना :** भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (गैल) ने पटना शहर में 27 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए हैं तथा राज्य में कुल 106 सीएनजी स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इससे कारों और ऑटो को सीएनजी की आपूर्ति संभव हो पाती है। अतिरिक्त केंद्र निर्माणाधीन हैं और बेगूसराय में एक सीएनजी फिलिंग स्टेशन शुरू किया गया है।
- ◆ **पथ कर में छूट :** सभी प्रकार के बैटरी-चालित वाहनों के लिए पथ कर में 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

16. नगर विकास एवं आवास विभाग

- ◆ **नाला निर्माण, सिवरेज एवं अन्य सैनिटेशन :** राज्य के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में नाला निर्माण, सिवरेज निर्माण और अन्य स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का काम किया जा रहा है।

- ◆ **स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम (सात निश्चय-2) :** स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम अंतर्गत जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु नगर निकायों में ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिससे जल निकासी के साथ तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिल सके। पटना एवं इसके आस-पास के शहरी क्षेत्रों में जल-जमाव की समस्या के समाधान हेतु कैचमेंट-01 से कैचमेंट-09 तक की योजनाओं की स्वीकृति 957.51 करोड़ रु0 एवं सैदपुर नाला का जीर्णोद्धार योजना की स्वीकृति 259.81 करोड़ रु0 अनुमानित व्यय पर दी गई है। इसके अतिरिक्त 07 नगर निगम (दरभंगा, समस्तीपुर, आरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, बेतिया एवं छपरा) एवं 04 नगर परिषद् (मधेपुरा, शिवहर, जहानाबाद एवं बोधगया) क्षेत्र के लिए कुल 1034.67 करोड़ की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- ◆ **जल-जीवन-हरियाली अभियान**

राज्य के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत चिन्हित 318 तालाबों/पोखरों के विरुद्ध 104 तालाबों/पोखरों के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करा लिया गया है। शेष तालाबों का जीर्णोद्धार प्रक्रियाधीन है। नगर विकास एवं आवास विभाग के स्वामित्व वाले 429 भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य, 9174 चापाकलों के निकट सोख्ता का निर्माण, 3336 कुँओं के निकट सोख्ता का निर्माण तथा 3744 कुँओं का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण हो गया है।

- ◆ **स्वच्छ भारत मिशन**

इस योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत 407570 शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। 141 नगर निकायों में शत् प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण किया जा रहा है तथा कुल संग्रहित 5467 TPD (Ton per day) में से 25 प्रतिशत (1385 TPD) कचरे का प्रसंस्करण किया गया है। सुखे कचरे के प्रबंधन हेतु 35 नगर निकायों में 51 डॉलर तथा गिले कचरे के प्रबंधन हेतु 87 नगर निकायों में 185 Waste to Compost केन्द्र संचालित हैं। पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए 05 TPD (Ton Per Day) के क्षमता का MRF Centre की स्थापना UNDP के सहयोग से की गई है। प्लास्टिक कैरी बैग एवं सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कम/समाप्त करने के उद्देश्य से प्रचार-प्रसार का अभियान चलाया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने हेतु बिहार नगरपालिका प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधित) मॉडल उपविधि, 2022 में प्रावधान किया गया है।

- ◆ **अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)**

केन्द्र प्रायोजित इस योजना के अंतर्गत राज्य के 20 नगर निकायों में पार्क निर्माण, 03 नगर निकायों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना तथा 21 नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाएँ क्रियान्वित हैं। पार्क निर्माण के तहत वृक्षारोपण एवं हरित स्थल का विकास करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें से 24 पार्कों का कार्य पूर्ण हो चुका है। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना के अंतर्गत वर्षा जल प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यह योजना दो नगर निकायों में पूर्ण हो चुकी है तथा एक में कार्य प्रगति पर है। जलापूर्ति योजना के अंतर्गत भू-गर्भ जल संचयन एवं पुनर्भरण पीट भी बनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत stand Post भी लगेंगे, वहाँ रिचार्ज पीट भी बनाने का प्रावधान है।

◆ पटना मेट्रो रेल निगम

पटना में प्रस्तावित परियोजना में दो कॉरीडोर हैं। पहले को दानापुर से शुरू होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना रेलवे स्टेशन और मीठापुर होते हुए खेमनीचक तक जाना है जिसकी कुल लंबाई 17.93 किमी है। दूसरे कॉरीडोर को पटना रेलवे स्टेशन से शुरू होकर आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुलहक़ स्टेडियम, मलाही पकड़ी बाइपास, खेमनीचक और जीरो माइल होते हुए पाटलिपुत्र बस टर्मिनल जाना है जिसकी कुल लंबाई 14.57 किमी है। इस परियोजना के संचालन के उपरांत सार्वजनिक वाहनों के परिचालन, यातायात बोझ और वायु तथा ध्वनि प्रदूषण में कमी आने की संभावना है।

◆ स्मार्ट सिटी मिशन :

- **पटना स्मार्ट सिटी :** पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा फ्लाइओवर के किनारे वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। इसके तहत गांधी मैदान के इन्द्री प्वाइंस्ट से दीघा गोलंबर तक कुल 7 किमी में गंगा पथ के उत्तर की ओर सौंदर्यीकरण/पुनर्विकास कार्य प्रस्तावित है। साथ ही, शहर को साफ-सुथरा और प्रदूषण-मुक्त बनाने के लिए कुल 25 ई-बसें चल रही हैं। वहाँ, 20 सरकारी भवनों/ स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि 908 किलोवाट आवर पीक बिजली प्राप्त की जा सके।
- **बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत 37 भवन-स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं ताकि 320 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।
- **भागलपुर स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत 7 भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं ताकि 336 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।
- **मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी :** इस योजना के तहत एक भवन/ स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है ताकि 25 किलोवाट आवर बिजली प्राप्त की जा सके।
- **नगर विकास भवन निर्माण योजना :** इस योजना के तहत वर्षाजिल संग्रहण/ सोलर लाइट लगाने का प्रावधान है। साथ ही, भवन परिसरों में हरित क्षेत्र भी विकसित किए जाने हैं।

17. जल संसाधन विभाग

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत बृहत और मध्यम योजनाओं के तहत सिंचाई के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ से सुरक्षा, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के कार्य किये जाते हैं। वर्ष 2023-24 में बृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए खरीफ, रबी और गरमा मौसमों में कुल 25.04 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2023-24 के खरीफ मौसम में 22.00 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लक्ष्य था लेकिन 19.75 लाख हे. क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई है।

- ◆ **हर खेत तक सिंचाई का पानी (सात निश्चय-2) :** राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय-2 के तहत “हर खेत को सिंचाई का पानी” उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी गांवों में असिंचित खेतों को सिंचाई प्रदान करना है। क्षेत्र सर्वेक्षण और किसानों से परामर्श के बाद उपयुक्त योजनाओं की पहचान की गई हैं। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 में जल संसाधन विभाग द्वारा 1165 योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है जिनमें से 619 योजनाएं पूरी हो गई हैं और 546 में काम प्रगति पर है।
- ◆ **गंगाजल आपूर्ति योजना :** जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षों की प्रकृति में परिवर्तन और भू-जल स्तर में गिरावट के कारण दक्षिण बिहार के कई ईलाकों में पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। प्रभावों को सीमित करने और पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत गंगाजल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गया, बोधगया, राजगीर और नवादा जैसे क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति से इन शहरों में भू-जल का दोहन कम हो जायेगा, परिणामस्वरूप भू-जल के स्तर में वृद्धि होगी। यह योजना राज्य में अपने किस्म की पहली योजना है जिसके लिए बरसात के मौसम में गंगा से अधिशेष पानी को लिफ्ट कर राजगीर और तेतर जलाशयों में भंडारित किया जाएगा, इससे इन क्षेत्रों में भू-जल रिचार्ज हो सकेगा। आम जनों के पेयजल के साथ जू-सफारी तथा नेचर सफारी को भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।
- ◆ **फल्गु नदी पर “गया जी डैम” (रबर डैम) :** विष्णुपद मंदिर के समीप फल्गु नदी में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा देश के सबसे लंबे रबर डैम ‘गया जी डैम’ का निर्माण किया गया है। आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित इस योजना पर 386.85 करोड़ रु. व्यय हुए हैं और इससे मंदिर के सामने 500 मीटर विस्तार में कम से कम 2 फीट गहरा पानी सालों भर उपलब्ध रहेगा। रुड़की आइआइटी के पर्यवेक्षण में राज्य में बना अपने किस्म का पहला डैम 2022 में बनकर तैयार हुआ। योजना धार्मिक कृत्य करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाभप्रद है। इसके साथ-साथ मंदिर से सीता कुंड जाने के लिए फल्गु नदी पर सीता पुल भी बनाया गया है जिससे हजारों पर्यटक रोज वहां जाते हैं।
- ◆ **पश्चिमी कोशी नहर परियोजना :** पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के अंतर्गत नहरों की गाद हटाने और तटबंधों तथा बचे हुए ढांचों के कार्य किये जा रहे हैं। अभी इस परियोजना से 18,461 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है और मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में पानी उपलब्ध कराने के लिए 70,777 हेक्टेयर हासित क्षमता पुनःस्थापित हुई है। योजना का लक्ष्य 64,240 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाना और 1,41,025 हेक्टेयर हासित सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित करना है जिससे मधुबनी जिले के 19 प्रखंडों और दरभंगा जिले के 5 प्रखंडों को लाभ होगा।
- ◆ **सिंधवरणी जलाशय योजना :** मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड में यह योजना 125.82 करोड़ रु. के व्यय से पूरी की जा रही है। इससे 1660 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। खड़गपुर, तेतिया बांबर, और संग्रामपुर प्रखंडों के किसान इससे खास तौर पर लाभान्वित होंगे। वहीं, 145.43 करोड़ रु. के व्यय से पूरी होने वाली डकरा नाला पंप नहर योजना से 3284 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी जिससे सूर्यगढ़ा, मुंगेर सदर, जमालपुर और धनहरा प्रखंडों के किसान लाभान्वित होंगे।

- ◆ **कुंडघाट जलाशय योजना** : 185.21 करोड़ रु. के व्यय से कुंडघाट जलाशय योजना का निर्माण जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के बहुआर नदी के समीपवर्ती सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है। योजना के तहत 300 मीटर लंबा मिट्टी का बांध, गेट-युक्त चहका (स्पिलवे) और वितरण प्रणाली का निर्माण होगा जिससे 2035 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना का लक्ष्य हरित आच्छादन बढ़ाना और क्षेत्र के लिए पानी उपलब्ध कराना है।
- ◆ **सारण मुख्य नहर की पुनःस्थापना** : 333.49 करोड़ रु. के व्यय से 0.00 किमी से 17.00 किमी तक सारण मुख्य नहर का पुनःस्थापन कार्य किया जा रहा है। वहीं 235.24 करोड़ रु. के व्यय से औरंगाबाद जिले में 0.00 किमी से 10.20 किमी तक पूर्वी लिंक नहर का पुनःस्थापन और लाइनिंग का काम किया जा रहा है।
- ◆ **नदी जोड़ योजनाएं** : राज्य में मृत नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने की कई योजनाएं बनाई गई हैं।
 - **बागमती-बूढ़ी गंडक (बेलवा धार) नदी जोड़ योजना** : 130.88 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों में किया जा रहा है।
 - **बागमती-बूढ़ी गंडक (शांति धार) नदी जोड़ योजना** : 120.96 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन समस्तीपुर जिले में किया जा रहा है।
 - **गंडक-अकाली नाला (छाड़ी)-गंडक-माही-गंगा नदी जोड़ योजना** : 69.89 करोड़ रु. के व्यय से इस योजना का क्रियान्वयन गोपालगंज, सीवान और सारण जिलों में किया जा रहा है। इन नदी अंतर्संबंधन योजनाओं के जरिए राज्य में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सुविधा के विकास और भूजल संभरण की योजना है।

18. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग

- ◆ **प्रचार के प्रयास** : विभाग होर्डिंग, समाचारपत्रों में विज्ञान, नुक्कड़ नाटक और सोशल मीडिया के जरिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने में सक्रियता से लगा है। इस अभियान का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और सूचनाओं के सतत प्रसार-प्रसार के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके इसे जन अभियान बनाना है।

अनुसंधान 1: विभागवार हरित बजट विवरण

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2024.25

(राशि लाख रु. मे.)

क्र.	पित्र कोट एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट युन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
1	अवकृष्ट वर्तनों का प्रभावात्मक	151.19	0.01	0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्ण से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पोर्टों का सम्पर्कण कार्य किया जाएगा।	सतत शूमि उपयोग और योजना जैव विविधता और परिस्थितिकी संस्करण			
2	अवकृष्ट वर्तनों का प्रभावात्मक	712.43	0.00	0.00	0.00		एस डी जी 13 एस डी जी 15			
3	अवकृष्ट वर्तनों का प्रभावात्मक	101.04	0.00	0.00	0.00					
4	प्राकृतिक वर्तनों का विकास	2084.89	9989.97	10000.00	10000.00	अधिकृत वनभूमि पर दृष्टारोपण तथा मृदा जल संरक्षण कार्य किया जाएगा।	अधिकृत वनभूमि का विवरण तथा मृदा जल संरक्षण कार्यक्रम कार्यालयन			
5	प्राकृतिक वर्तनों का विकास	1800.00	0.00	0.00	0.00					
6	प्राकृतिक वर्तनों का विकास	518.00	0.00	0.00	0.00					
7	नहर तट फर्म	0.00	0.01	0.01	0.01	वर्तमान में बजट उपबंध नहीं है। पुनर्विनियोग से राशि प्राप्त कर पूर्ण से स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत पोर्टों का सम्पर्कण कार्य किया जाएगा।	सतत शूमि उपयोग और योजना जैव विविधता और परिस्थितिकी संस्करण			
8	नहर तट फर्म	423.03	0.00	0.00	0.00					
9	पथ तट फर्म	345.61	0.01	0.00	0.00	राज्य के पथ तटों पर दृष्टारोपण कार्य किया जाएगा। शहरी वानिकी, आपान-लिंगम पथ के अन्तर्गत लिंगानी/अनुभंगल/प्रबंद वृत्त्वालय को जोड़ने वाली संस्करण द्वारा दृष्ट लगाए जाएंगे। वृन्धि वानिकी अन्तर्गत विभानी द्वारा पृष्ठाराला छापार्पित करना तथा उनके द्वारा रेखांति भूमि पर दृष्टारोपण का कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पार्क का विकास किया जाएगा। पोर्टों का संरोगण कार्य किया जाएगा। पौधशाला में पौधे उगाए जा रहे हैं, जिनका संरोगण किया जाएगा।	सतत शूमि उपयोग और योजना जैव विविधता और परिस्थितिकी संस्करण			
10	पथ तट फर्म	415.75	0.00	0.00	0.00		एस डी जी 2 एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15			
11	प्राकृतिक जल कोशल के बाहर वानिकी	3676.32	10000.00	10000.00	10000.00	अधिकृत वनभूमि पर बाहर पथ, नहर, नदी तट किनारे दृष्टारोपण, शहरी वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण कार्य किया जाएगा।	कार्यक्रम कार्यालयन			
12	प्राकृतिक जल कोशल के बाहर वानिकी	1639.64	0.00	0.00	0.00					

क्र.	विष्व कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासीकता
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)	हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)	हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)		
पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग											
14	19-2406021120101 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	5621.14	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार हरित निवेश और बुनियादी ढांचा
15	19-2406027890102 इको पर्यटन एवं पार्क का विकास	1614.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	एस डी जी 11 एस डी जी 13 एस डी जी 15
16	19-240611050104 प्रदूषण नियंत्रण पर्द	773.22	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसररक्षन
17	19-4406010700102 भवन	2420.27	3500.00	3586.98	3586.98	3586.98	3586.98	3586.98	3586.98	बायु और जल प्रदूषण उपचारन स्वदृष्टता और अपार्शि'ट प्रबन्धन
18	19-4406010700101 सड़क और पुल	63.24	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	निरंतर कार्यक्रम कार्यालयन विनियमन एवं प्रवर्तन
19	19-2406021100121 वन्य प्राणीयों के सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास	924.26	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा
20	19-2406011050105 लांट टिशू कल्चर लैब	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	एस डी जी 2 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन अनुसंधान एवं विकास

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
21	19-2406021100324 बाय परियोजना	199.55	151.64	0.00	0.00	वाल्मीकि व्याप्र आस्थ में वायों के संरक्षण एवं उनके अधिकास संबद्धन के कार्य किए जाएं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविता और पारिवित्तिकी संख्यण			
22	19-2406021100326 गज परियोजना	10.47	3.78	0.00	0.00	राज्य के अंतर्गत हाथियों के अधिकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के अंतर कार्य किया जाएगा। एस डी जी 15			
23	19-2406021100323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विकास	0.00	744.00	250.00	250.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएं।	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन			
24	19-2406021100327 राष्ट्रीय जलीय परिवित्तिकी तंत्र संरक्षण योजना	0.00	0.00	30.00	30.00	इस योजनानार्थ जलीय जीवों के अधिकास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपयोग किए जाएं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविता और पारिवित्तिकी संख्यण			
25	19-2406041010304 समोकित वन प्रबंधन	95.23	407.90	214.80	214.80	प्राकृतिक कर्मों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षात्मक कार्य हेतु ढोंचागत इन्द्रिकरण के कार्य किए जाएं।	हासिल निवास और बुनियादी ढाँचा एस डी 13 एस डी 15			
26	19-2406041010305 राष्ट्रीय बास मिशन	5.07	0.00	25.00	25.00	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पौधों का उत्पादन, पौधालालों का विकास और बास आधारित कस्तुओं के संबंध में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।	कार्यक्रम कार्यान्वयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास			
27	19-2406041010301 राष्ट्रीय चानिकी कार्यक्रम			0.00	233.00	राज्य के अधिसूचित वर्षों में जन सहयोग के माध्यम से वर्षों की पुनर्वात्ता युवाओं एवं छानात्मक समुदायों की आमन्दी बढ़ाने तथा योजनारूप प्रयोग करने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	हासिल अशेयकता और रोजगार जैव विविता और पारिवित्तिकी संख्यण			

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शैफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग										
28	19-2406021100224 बाय. परियोजना	238.01	151.64	0.00	0.00	वाल्टमीकी व्याप्र आस्थ में वार्षों एवं उनके अधिवास के सर्वदर्शन के अन्तर्गत हाविलिंग के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के अंदर कार्य किए जारें।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविता और पारिवित्तिकी संख्यण			
29	19-2406021100226 गज. परियोजना	15.70	5.66	0.00	0.00	राज्य के अंतर्गत हाविलिंग के अधिवास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने के अंदर कार्य किए जारें।	एस डी जी 15			
30	19-2406021100223 एकीकृत वन्यजीव पर्यावरण विभाग	0.00	2233.00	1554.70	1554.70	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएं।	कार्यक्रम कार्यालयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन			
31	19-2406021100227 राष्ट्रीय जलीय परिवित्तिकी तंत्र सरकार योजना			550.00	550.00	इस योजनानामर्त जलीय पोर्टों के अधिवास प्रबंधन एवं उनके संरक्षण के उपर किये जाते हैं।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैव विविता और पारिवित्तिकी संख्यण			
32	19-2406041010204 समेकित वन प्रबंधन	39.62	1224.00	817.00	817.00	प्राकृतिक कर्वों में अग्नि से सुरक्षा एवं अन्य सुरक्षामुक कार्य हेतु ढोंचागत इन्द्रिकरण के कार्य किए जाएं।	हरित निवास और बुनियादी ढाँचा			
33	19-2406041010205 राष्ट्रीय बास विभाग			0.00	37.50	इस योजना के अंतर्गत बांस प्रजाति के पोर्डों का उत्पादन, पौधालालों का विकास और बास आधारित कस्तुओं के सबूत में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।	कार्यक्रम कार्यालयन			
34	19-2406041010201 राष्ट्रीय चानिकी कार्यक्रम			350.00	350.00	राज्य के अधिसूचित वर्षों में जन सहयोग के माध्यम से वर्षों की पुनर्वात्ता युवाओं एवं छानातीय समुदायों की आमनदी बढ़ाने तथा योजनार उपलब्ध कराने से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।	हारित अश्वयक्षण और रोजगार			

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता योजना के मुख्य उद्देश्य		
		हस्तिवर्जन वास्तविकी	हस्तिवर्जन पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हस्तिवर्जन अनुमान			
श्रेणी A' – हस्तिवर्जन अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)								
पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग								
35	19-2406010010001 निरन्तर और प्रशासन	1903.31	2321.81	2692.24	2692.24	मुख्यालय सहित 15 कार्यालयों में स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मचारी का बेनाहि एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय वाहन का इधान एवं रख-रखाव, दूषण, वित्त, अनुसंधान इत्यादि पर एवं लिया जाता है। इस उपर्याप्त से प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम में बनाई वर्ताल के प्रशिक्षण कार्यालय के बिना एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		
36	19-2406010030001 प्रशिक्षण, जनसम्पर्क एवं शोध हेतु	711.23	701.26	691.80	691.80	इस उपर्याप्त से प्रशिक्षण कार्यालय के बिना एवं सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		
37	19-2406010700001 सड़क एवं पुल	395.33	400.00	480.00	480.00	2030 किमी0 बन पथ का रख-रखाव पर लिया जाता है।		
38	19-2406010700002 भवन	413.93	420.00	480.00	480.00	788. विभागीय भवन का रख-रखाव पर लिया जाता है।		
39	19-2406011010001 वनों का विस्तार उन्नति एवं सुरक्षा	13610.71	17339.49	18862.51	18862.51	इस उपर्याप्त में विहार से 27 बन प्रमाणितों के स्थायी पौधाशाला एवं उसके रख-रखाव पर लिया जाता है। इसमें पदाधिकारियों एवं कर्मचारों का वेतनादि एवं सवारी पर नियोजित कर्मी, वर्ताल के क्षेत्र प्रशिक्षण केंद्र, वाहन चालक एवं सफाई वर्ताल, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। इसके अलावा कार्यालय यथा वाहन का इधान एवं रख-रखाव, दूषण, वित्त अनुसंधान इत्यादि पर लिया जाता है।		
40	19-2406011010002 वर्किंग लाइन प्रणाली	113.71	155.47	135.34	135.34	इस उपर्याप्त में माननीय सर्वोच्च व्यायामय के आस्था के तहत प्रत्येक वर्किंग लाइन प्रणाली हेतु दस कर्मी के लिए कार्यालय वाहन तैयार करने संबंधित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई सविदा पर नियोजित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है। एवं स्थाई पदाधिकारियों एवं कर्मचारों का वेतनादि एवं सवारी पर नियोजित कर्मी, कम्युटर ऑफिसटर, वाहन चालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन भुगतान किया जाता है।		

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता
		हसित बजट	वारतविकी	हसित बजट	पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हसित बजट		
श्रेणी 'A' – हसित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)									
41	19–240602110003 अभ्यासप	1007.71		1385.45		1454.01	1454.01	इस उपशीर्ष में वालिनकी व्याप्र आरक्ष प्रमाण-बल-1 एवं 2 के तरांगों के सरंचण से संबंधित कार्य एवं कार्यालयों में स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि एवं संचावदा पर नियमित कर्मी तरांगों के द्वारा प्रदायित कर्मी वाहन वालक एवं सफाई मजदूर आदि का वेतन अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)	हसित अध्यवक्षा और रोजगार एस डी जी 8 कार्यक्रम कार्यालयन
42	19–2406021110001 अन्य उद्यान	1954.78		2909.87		4495.68	4495.68	इस उपशीर्ष में वालिनकी व्याप्र आरक्ष प्रमाण-बल-1 एवं 2 के तरांगों के सरंचण से संबंधित कार्य एवं कार्यालयों में स्थानीय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित) हसित अध्यवक्षा और रोजगार एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन प्रादीपिकी एवं अवसररचना	हसित अध्यवक्षा और रोजगार एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन प्रादीपिकी एवं अवसररचना
43	19–3435041030001 बिहार राज्य पर्यावरण समाचारत प्राधिकरण	74.78		81.00		85.50	85.50	इस उपशीर्ष से विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं का पर्यावरण स्वीकृति यथा भवन निर्माण, खनन कार्य आदि तथा विहार राज्य पर्यावरण समाचारत प्राधिकरण के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि पूर्णतानि किया जाता है।	सतत भूमि उपयोग और योजना हसित अध्यवक्षा और रोजगार एस डी जी 8 एस डी जी 9 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन
44	19–3435031020001 बिहार राज्य जैव विवेचिता पर्षद	151.09		467.03		471.60	471.60	इस उपशीर्ष में Biodiversity Act के तहत गठित जैव विवेचिता प्रबन्धन समितियां (Biodiversity Management Committee) एवं जैव विवेचिता पर्षद (Public Biodiversity Register) का निर्माण करना है एवं विहार राज्य जैव विवेचिता पर्षद के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतनादि का भुगतान किया जाता है।	हसित अध्यवक्षा और रोजगार एस डी जी 8 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन प्रादीपिकी एवं अवसररचना अनुमोदन एवं विकास

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य		पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता	
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता
शेफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
45	19-2406021100329 बाध परियोजना एवं गज	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	जैव विविधता और पारिवाचनिकी संरक्षण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
46	19-2406021100328 बाध परियोजना एवं गज	0.00	215.66	50.00	50.00	50.00	50.00	एस डी जी 15	एस डी जी 15	कार्यक्रम कार्यालयन	प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन
47	19-2406041010303 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	33.20	33.20	33.20	33.20	ग्रन्थिण किसानों को बनरोपण के लिए प्रोत्साहित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
48	19-2406021100229 बाध परियोजना एवं गज	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	वन्य प्राणियों के सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य किये जाएंगे।	जैव विविधता और पारिवाचनिकी संरक्षण	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
49	19-2406021100228 बाध परियोजना एवं गज	0.00	954.69	500.00	500.00	500.00	500.00	एस डी जी 15	एस डी जी 15	कार्यक्रम कार्यालयन	प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन
50	19-2406041010203 राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना	0.00	0.00	49.80	49.80	49.80	49.80	ग्रन्थिण किसानों को बनरोपण के लिए प्रोत्साहित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
51	19-240610030006 वाणिकी महाविद्यालय मुंगेर	0.00	1850.20	2610.56	2610.56	2610.56	2610.56	वन्य प्राणियों के लिए अनुदान।	हरित अध्ययन संसाधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन
52	19-3451000900006 पर्यावरण एवं वन विभाग	574.23	851.05	1061.55	1061.55	1061.55	1061.55	मुआवात्र का बेतन इत्यादि।	एस डी जी 8	एस डी जी 4	कार्यक्रम कार्यालयन
	योगफल	51875.46	81164.60	85302.79	85302.79	85302.79	85302.79				कार्यक्रम कार्यालयन

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शैफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
लोक स्वास्थ्य अभियंक्रम विभाग										
1	364215011020103 जलपृष्ठि एवं सकार्फ पर दूँजिगत परिवेश	1709.55	4200.00	3338.00	3338.00	प्राकृतिक सम्पादन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा				
2	36-42150117890111 जलपृष्ठि एवं सकार्फ पर दूँजिगत परिवेश	355.32	800.00	1662.00	1662.00	एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोधारिको एवं अवशरणता				
3	36-42150117960107 जलपृष्ठि एवं सकार्फ पर दूँजिगत परिवेश	36.63	0.00	0.00	0.00					
	योगफल	2099.50	5000.00	5000.00	5000.00					
कर्जा विभाग										
1	10-6801002010101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम (प्रबिजिती उत्पादन)	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	परिविजितली परियोजनाओं के पूर्ण होने से यीन इन्टर्न को बढ़ावा निवेश कारबन क्रेडिट में बुद्धि एवं प्रदूषण में कमी आयोगी और पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।				
2	10-2810001040101 अपन्यासगत उर्जा श्रोत	4250.00	5000.00	10000.00	10000.00	यीन इन्जीं को बढ़ावा कारबन क्रेडिट में बुद्धि एवं प्रदूषण में कमी आयोगी विस्तृत फलवरक पर्यावरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही योग्य पर कर्जा की नियन्त्रण को कम किया जा सकता। साथ ही पर्यावरण द्वारा नियन्त्रित RPO लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगा।				
3	10-4810001900102 बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंटो तिलो की परियोजना	0.00	0.00	15000.00	15000.00	कर्जा (लघुविद्युत) में सौर कर्जा एवं वैटरी ऊर्जा नियन्त्रण प्रणाली परियोजना का अधिकारपत्र पर्यावरण के अनुकूल होगा। जल-जैवन-हरितयों आयोजन का भी सबद्धन करेगा। इसके अतिरिक्त राज्यों के लिए नियन्त्रित नियन्त्रित कार्यक्रमों के लिए विद्युत के साथ-साथ उर्जा भवारण को कमी हो तक पूरा किया जा सकेगा तथा राज्य को अधिगतिकरण में भी सहायक होगा।				
	योगफल	4250.00	7000.00	27000.00	27000.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट					
शैफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)														
परिवहन विभाग														
1	47-30556001900104 बिहार स्वच्छ इथान योजना	16.40	2500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	परिवहन विभाग में युधार हेतु चैलल / प्रैग्लूल चालित याहाँ का सौरपूर्णस्तोरी में समारोहित हेतु सार्किलों	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा वायु और जल प्रदूषण उपचारन एस ई. जी. 11 एस ई. जी. 13 कार्यक्रम कार्यालयन अनुदान निवेश प्रौद्योगिकी एवं अवसरणना			
	योगफल	16.40	2500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00					
लघु जल संवर्धन विभाग														
1	50-4702001010106 हर खेत तक सिचाई का पानी	11011.62	28220.00	28220.00	28560.00	28560.00	28560.00	28560.00	28560.00					
2	50-4702007890106 हर खेत तक सिचाई का पानी	1788.73	5440.00	5440.00	5440.00	5440.00	5440.00	5440.00	5440.00					
3	50-4702007960107 हर खेत तक सिचाई का पानी	53.43	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4	50-4702001020102 सतही जल योजना	2457.38	1660.00	1660.00	840.00	840.00	840.00	840.00	840.00					
5	50-4702007890104 सतही जल योजना	389.76	320.00	320.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	जल संरक्षण / मृ-प्रजल पुनर्जनण मुद्रा अपरदन से सुरक्षा । सतही योजनाओं का जलर्गदार कार्य एवं आहर /इन / तालाब बाय के पुनरुद्धार पर राष्ट्रीय की जानी है।	प्राकृतिक संरक्षण प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा एस ई. जी. 2 एस ई. जी. 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरणना			
6	50-4702007960105 सतही जल योजना	17.93	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7	50-4702001020107 जल जीवन हरियाली	24157.98	23240.00	23240.00	24360.00	24360.00	24360.00	24360.00	24360.00					
8	50-4702007890105 जल जीवन हरियाली	3969.52	4480.00	4480.00	4640.00	4640.00	4640.00	4640.00	4640.00					
9	50-4702007960106 जल जीवन हरियाली	135.97	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
10	50-4702001010205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	730.89	8300.00	8300.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00	8400.00					
11	50-4702007890205 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	137.96	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00					
12	50-4702007960206 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	8.62	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शैफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
लघु जल संसाधन विभाग										
13	50-4702001010305 प्रधान कंगी कृषि सुरक्षा योजना	477.46	2766.39	2100.00	2100.00		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश आवास बुनियादी द्वाचा एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रौद्योगिकी एवं अक्षरस्थना			
14	प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	91.97	533.28	400.00	400.00					
15	50-4702007960306 प्रधान मंत्री कृषि सुरक्षा योजना	7.23	33.33				जल संरक्षण / पूर्वावल पुनर्निर्णय मुद्रा अपरदन से भुक्ता । सरहड़ी योजनाओं का जीर्णोद्धार कार्य एवं आहर-वैद्यन/ तालाब वाध के पुनरुद्धार पर राशि यथा की जानी है ।			
16	50-4702001010101 सरहड़ी जल योजना	510.39	1245.00	1680.00	1680.00					
17	50-4702007890101 सरहड़ी जल योजना	75.96	240.00	320.00	320.00					
	योगफल	46022.80	78818.00	78500.00	78500.00					
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48-2217030510201 हर घर शोधालय निर्माण, घर का सम्मान निष्क्रिय योजना (SBM)	838.00	48198.00	0.00			स्वच्छता और अपाशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपचारन			
2	48-2217030510301 हर घर शोधालय निर्माण, घर का सम्मान निष्क्रिय योजना (SBM)	572.00	10000.00	0.00			एस डी जी 6 एस डी जी 11 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता			
3	48-2215021050101 ठेस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निष्क्रिय-2	0.00	412100.00	1000.00	1000.00					
4	48-22150227890104 ठेस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निष्क्रिय-2	0.00	199.97	1000.00	1000.00		इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में शोधालय का निर्माण एवं ठेस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जाता है । यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पांचवरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रोकने में सहायक है । कुल बजट राशि का 10 प्रतिशत यानि हरित बजट के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।			
5	48-22150227960106 ठेस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन-सात निष्क्रिय-2	0.00	100.00	1000.00	1000.00					
6	48-2217030510212 स्वच्छ भारत निष्क्रिय-2.0	0.00	0.00	1516.00	1516.00					
7	48-2217030510309 स्वच्छ भारत निष्क्रिय-2.0	0.00	0.00	1500.00	1500.00					
8	48-2217030510213 स्वच्छ भारत निष्क्रिय-2.0	0.00	0.00	13644.00	13644.00					
9	48-2217030510310 स्वच्छ भारत निष्क्रिय-2.0	0.00	0.00	9000.00	9000.00					
10	48-2217030510214 स्वच्छ भारत निष्क्रिय-2.0	0.00	0.00	26660.00	26660.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान		
शैफी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)							
नगर विकास एवं आवास विभाग							
11	48-2217030510311 स्वच्छ भारत मिशन-2.0	0.00	0.00	10000.00	10000.00		
12	48-2217030510215 स्वच्छ भारत मिशन-2.0	0.00	0.00	4246.00	4246.00		
13	48-2217030510312 स्वच्छ भारत मिशन-2.0	0.00	0.00	1000.00	1000.00		
14	48-2217030510216 स्वच्छ भारत मिशन-2.0	0.00	0.00	2132.00	2132.00		
15	48-2217030510313 स्वच्छ भारत मिशन-2.0	0.00	0.00	1000.00	1000.00		
	योगफल	1430.00	470597.97	73698.00	73698.00		
भवन निर्माण विभाग							
1	03-2059800530013 आवासीय-भौर-आवासीय उद्यानों/पार्कों का रख-रखाव एवं तीणांद्वार	602.66	1000.00	1000.00	1000.00	कार्बन उत्सर्जन स्तर एवं प्रदूषण स्तर को बनाए रखने हेतु पार्कों का रख-रखाव एवं जागोद्धार	प्राकृतिक सम्पादन प्रबंधन हारित अध्ययनवक्षण और रोजगार एस ई जी 15
2	03-4406010510101 वाणिकी महाविद्यालय	3452.56	0.00	0.00	0.00	हारित पट्टी के विस्तार आदि के द्वारा पर्यावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जन स्तर एवं प्रदूषण स्तर को बनाए रखना प्रोग्रामी एवं अवधारणा प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन	प्राकृतिक सम्पादन प्रबंधन हारित अध्ययनवक्षण और रोजगार एस ई जी 15
3	03-4406010510102 डॉक्टरिन सिसर्च सेंटर	177.45	1548.49	0.00	0.00	डॉक्टरिन का संरक्षण एवं उसकी प्रजाति को बढ़ावा देना।	जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण प्रोग्रामी एवं अवधारणा अनुसंधान एवं विकास
	योगफल	4232.67	2548.49	1000.00	1000.00		

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता			
		हस्त बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हस्त बजट	बजट अनुमान	हस्त बजट अनुमान						
श्रृंगी 'A' – हस्त बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)												
कृषि विभाग												
1	01-2401001090122 फसल कृषि कर्म	8300.00	2358.00	2356.80	2356.80	2356.80	2356.80	सत्रत शून्य उपयोग और योजना एस डी जी 2 एस डी जी 6 अनुदान निरीश कार्यक्रम कार्यालयन प्रोडोगिकी एवं अवसरणा				
2	01-2401007890152 फसल कृषि कर्म	1600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	सिंचाई हेतु हर खेत तक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।				
3	01-2401007960174 फसल कृषि कर्म	85.26	42.00	43.20	43.20	43.20	43.20					
	योगफल	9985.26	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00					
पशु एवं मरुस्य संसाधन												
1	02-2404000030101 प्रशिक्षण	251.62	340.00				प्रशिक्षण पर व्यय।	हस्त अर्थव्यवस्था और रोजगार एस डी जी 2 एस डी जी 6 शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
	योगफल	251.62	340.00	0.00	0.00	0.00						
गन्ना उद्योग विभाग												
1	45-2401001080109 ईंच विकास /मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	1377.60	3320.00	3109.52	3109.52	3109.52	प्राकृतिक सम्पदान प्रबंधन सत्रत शून्य उपयोग और योजना हस्त निवेश और बुनियादी ढांचा एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुसंधान एवं विकास					
2	45-2401007890108 ईंच विकास /मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	56.30	640.00	601.60	601.60	601.60	वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 2500 लाख रु. की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के कार्यालयन का प्रतिशत में वृद्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3760 लाख रु. की लागत पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कार्यालयन प्रतिशत है कुल 2500 लाख रु. में से 2024-22 लाख रु. का यथ तुरंतरीय वैज उपायन मद, अन्तर्वर्ती खेती मद एवं बड़विधि शिक्षे मद में किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा उक्त योजनानाम अनुदान तकी अवधारणा यांत्रे प्रमेत Cop-9301, CO-93014 एवं ColK-94184 व्यवस्थित है।					
3	45-2401007960129 ईंच विकास /मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम	10.93	40.00	48.88	48.88	48.88						
4	45-2852082010103 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	4980.00				प्राकृतिक सम्पदान प्रबंधन हस्त निवेश और बुनियादी ढांचा एस डी जी 2 अनुदान निवेश कार्यक्रम कार्यालयन प्रोडोगिकी एवं अवसरणा					
5	45-2852087890101 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	960.00									
6	45-2852087960102 चीनी मिलों को आर्थिक सहायता	0.00	60.00									
	योगफल	1444.83	10000.00	3760.00	3760.00	3760.00						

क्रं.	रिप्रेजनेटिव कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता			
		हरित बजट वार्षिकी	हरित बजट पुनः अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
श्रेणी 'A' – हरित बजट अनुमान 90 से 100 प्रतिशत (पूर्ण समर्पित)										
पंचायती राज विभाग										
1	16-2515001960009 15वें वित्त आयान (General Budget)	34578.00	34956.00	37026.00	37026.00	Tied Grant का 100 प्रतिशत राशि का व्यय स्वाक्षरता एवं खुले में शोधमुद्रा, वर्षा जल संवर्धन, सार्वजनिक कुओं का लोणिंगइर, विचाई लकड़ा वृक्षों हेतु बैक डेम / आहर, पहाड़न का विनाश एवं एक से तीन हैवेटेंटर के जल संवर्धन क्षेत्रों का जीर्णोद्धार आविष्कार कर्या जाना है। विनाशसे परिवर्तन को स्वदृष्ट एवं राम्रमुक्त बनाने में सफलता मिलेगी।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
2	16-2515001970006 15वें वित्त आयान (General Budget)	34659.32	34964.72	37026.00	37026.00	इस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा				
3	16-2515001980016 15वें वित्त आयान (General Budget)	161400.04	163128.00	172788.00	172788.00	एस दो जी 11 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा				
	योगफल	230637.36	233048.72	246840.00	246840.00	एस दो जी 13 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा				
	100 प्रतिशत श्रेणी का कुल बजट वोगदान	477267.43	1094188.78	651407.79	651407.79	एस दो जी 15 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा				
श्रेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)										
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48-2215011910106 जल-जीवन-हरियाली अभियान	180.00	3330.00	300.00	270.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में तालाब, पाइपर एवं कुओं का जीर्णोद्धार कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को संभवित रखने एवं धू-मर्म जल वातान को संरक्षित करने में सहायक है। कुल बजट राशि का लगातार 90 प्रतिशत आवास विकास एवं आवास स्थानों का अन्तर्गत रखा जा सकता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
2	48-2215011920103 जल-जीवन-हरियाली अभियान	274.50	1980.00	300.00	270.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर दूर क्षेत्रों उत्तराव का कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्पार्कलन का स्वदृष्ट एवं प्रदूषण रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत आवास विकास के अन्तर्गत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपांशुल प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोगन एस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
3	48-2215011930102 जल-जीवन-हरियाली अभियान	346.50	1080.00	300.00	270.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर दूर क्षेत्रों उत्तराव का कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्पार्कलन का स्वदृष्ट एवं प्रदूषण रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत आवास विकास के अन्तर्गत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपांशुल प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोगन एस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
4	48-2217011910124 विशेष स्वस्थता अनुदान	1377.03	1600.00	1944.00	1555.20	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर दूर क्षेत्रों उत्तराव का कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्पार्कलन का स्वदृष्ट एवं प्रदूषण रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत आवास विकास के अन्तर्गत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपांशुल प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोगन एस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
5	48-2217031920114 विशेष स्वस्थता अनुदान	48.00	400.00	440.00	352.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर दूर क्षेत्रों उत्तराव का कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्पार्कलन का स्वदृष्ट एवं प्रदूषण रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत आवास विकास के अन्तर्गत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपांशुल प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोगन एस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
6	48-2217031930113 विशेष स्वस्थता अनुदान	0.00	400.00	616.00	492.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता से संबंधित सामग्रियों एवं डोर दूर क्षेत्रों उत्तराव का कार्य विनाश जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में स्पार्कलन का स्वदृष्ट एवं प्रदूषण रखने में सहायक है। कुल बजट राशि का 80 प्रतिशत आवास विकास के अन्तर्गत रखा जाता है।	स्वच्छता और अपांशुल प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोगन एस दो जी 6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित विवेश और बुनियादी दाचा			
	योगफल	2226.03	8495.88	3900.00	3209.20		कार्यक्रम कार्यालयन			

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)										
कृषि विभाग										
1	01–2401001040205 परस्परात कृषि विकास योजना	85.48	0.00	982.24	845.00	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत धूमि उपयोग और योजना एस ई जी 2				
2	01–2401001040305 परस्परात कृषि विकास योजना	56.99	0.00	228.23	196.00	जैविक विधि से खेती एवं जैविक प्रमाणिकता हेतु किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना तथा जैविक उपचारान को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना।				
3	01–2401007890341 परस्परात कृषि विकास योजना	10.30	0.00	58.12	50.00	निरेश कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्तन				
4	01–2401007960363 परस्परात कृषि विकास योजना	0.00	0.00	4.15	3.73					
5	01–2401007960231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकोटीपाइ) (एयरप्रीटीपाइ)	0.52	403.75	126.39	95.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन/उत्पादकता बढ़ने संबंधित कार्य घटकों का कार्यालयन।				
6	01–2402001020313 एकीकृत जल संमर्द प्रधान कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएफपी)	4652.00	1469.00	2278.30	1709.00	पकड़ा चेक ड्रैम, गाद अवरोधक बांध, आहर का जीणार्थर, मेडर्टरी, स्ट्रेप्यार्ट, ट्रैच एवं पेंजा रोपण आदि।				
7	01–2401007890241 सहमानित प्रतिपूर्ति प्रापाली पद्धति के तहत जैविक खेती	15.43	0.00	249.88	215.00	प्रशिक्षणी एवं अवसरयन कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं अनुदान				
8	01–2401007960263 सहमानित प्रतिपूर्ति प्रापाली पद्धति के तहत जैविक खेती	0.00	0.00	17.88	15.00	जलवायु परिवर्तन शमन धूमि उपयोग और योजना एस ई जी 2				
9	01–2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकोटीपाइ) (एयरप्रीटीपाइ)	176.54	0.00	7025.93	5269.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन संबंधित कार्य घटकों का कार्यालयन।				
10	01–2401001090316 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकोटीपाइ) (एयरप्रीटीपाइ)	136.64	3484.02	1532.64	1149.00	कृषि क्षेत्र के विकास हेतु आधार भूत संरचना का निर्माण सहित फसलों की उत्पादन संबंधित कार्य घटकों का कार्यालयन।				
11	01–2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकोटीपाइ) (एयरप्रीटीपाइ)	47.81	1838.52	491.57	369.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी		हरित बजट		बजट अनुमान		हरित बजट						
शेणी 'B' – हरित बजट अनुमान 75 से 90 प्रतिशत (बहुत अधिक)						कृषि विभाग								
12	01–2402007890302 मृदा तथा जल संरक्षण	897.00	0.00	577.76	433.00	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और बुनियादी ढांचा								
13	01–2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन		0.00			एस डी जी 6 एस डी जी 15								
14	01–2402007890309 मृदा तथा जल संरक्षण		0.00	41.44	31.00	कार्यक्रम कार्यालयन प्रोत्योगिकी एवं अवसरण								
15	01–2401007890358 मृदा तथा जल संरक्षण		0.00	1.25	1.00	प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्कन								
16	01–2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोक्षणिकी) (एयरपोर्ट)		0.00	1686.43	1265.00	हरित निवेश और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन								
17	01–2401007890331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोक्षणिकी) (एयरपोर्ट)		0.00	29.41	22.00	एस डी जी 2 एस डी जी 15								
		योगफल	6078.71	7195.29	15331.62	11667.73	कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान							
लघु जल संसाधन विभाग														
1	50–4702001010101 लघु सिंचाई	510.39	933.75			हरित निवेश और बुनियादी ढांचा सरत शृंखला उपयाम और योजना								
2	50–4702007890101 लघु सिंचाई	75.96	180.00			एस डी जी 6								
3	50–4702007960103 लघु सिंचाई	3.11	11.25			कार्यक्रम कार्यालयन निरेश प्रोत्योगिकी एवं अवसरण								
		योगफल	589.46	1125.00	0.00	0.00								
		75 से 90 प्रतिशत शेषी का कुल बजट योगदान	8894.20	16816.17	19231.62	14876.93								

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
श्रेणी C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)										
ग्रामीण विकास विभाग										
1	42-2505021010201 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (भूमिका)	89531.23	223343.25	371241.00	241306.65	इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका युआ को युद्ध करने के साथ-साथ दिक्कात परिस्थिति का घुटन करने के लिए विकास करना है। योजनानामसंत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वरक सदस्यों द्वारा काम मार्गने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अंकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रयत्न है। इसके अंतर्गत वृक्षालयण का कार्य तालिका, आहर, खेत-पेखर एवं फैन इत्यादि जल संवर्धन संरचनाओं का जीन-द्वार दिया जाता है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार हरित निवेश आर बुनियादी डाचा एस डी जी 6 एस डी जी 8 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन अनुदान प्रोधारिकी एवं अवसंरक्षण प्रशिक्षण एवं क्षमतावान			
2	42-2505021010301 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (भूमिका)	12470.25	62250.00	70000.00	45500.00					
3	42-2501061010207 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	98.00	73.50					
4	42-2501061010307 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	66.00	49.50					
5	42-2501061890206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	20.00	15.00	महिला सशक्तिकरण योजना को राष्ट्रीय किसान नीति के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुल्क दिया गया है, जिसका क्रमानुसार 60 प्रतिशत वित्त पारित कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार 60 प्रतिशत पारित करता है। एमजेकोरप्टमो योजना का उद्देश्य कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, ऊन्हें ऐका करने के लिए प्रोत्तमाहित करना और कृषि में जबर्य रोजगार के अवसर संचालित करना।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार एस डी जी 5 एस डी जी 8 एस डी जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन			
6	42-2501061890306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	12.00	9.00					
7	42-25010617960206 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	2.00	1.50					
8	42-250106190306 महिला किसान सशक्तिकरण योजना, एमजेकोरप्टमो (एनआरएटएलएम)	0.00	0.00	2.00	1.50					
	योगफल	102001.48	285593.25	441441.00	286956.65					

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान						
कृषि विभाग												
श्रेणी C' – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)												
1	01-2401007890323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	143.41		259.74	130.00	फसल फ्रैश्यान, भी विधि से धन की खरीदी, जीरो टिलेरे से गाहुं की खरीदी, ऐजे दास्तावर से धन की रोपाई।		जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण और रोजगार एस ई जी 2 एस ई जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता				
2	01-2401001050106 जैविक खेती का उन्नयन	5939.00	6801.42	5499.20	3849.00			जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
3	01-2401007890126 जैविक खेती का उन्नयन	1002.32	1709.73	1400.00	980.00	जैविक फसलें/सज्जी फसलों का उत्पादन।		जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
4	01-2401007890148 जैविक खेती का उन्नयन	53.74	109.00	100.80	71.00			जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
5	01-2401001050207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	140.56	0.00	295.01	186.00			जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
6	01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	19.29	0.00	74.63	47.00			जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
7	01-2401007890238 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1.07	0.00	5.36	3.00	वर्षां आधारित 17 जिलों में फसलत उच्चान एवं पृथक आधारित कृषि प्रणाली अपनाने हेतु आवश्यक शक्ति क्रियाएं।		जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन सतत भूमि उधयोग और योजना हरित अश्वयक्षण एस ई जी 2 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
8	01-2401001050307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.00	0.00									
9	01-2401007890338 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	14.28	0.00	17.37	11.00							
10	01-2401007890358 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	0.84	0.00									
11	01-2401001090216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकेबोर्डाई) (एयोगिता)			0.00								
12	01-2401007890203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकेबोर्डाई) (एयोगिता)	1805.99	3882.26					समर्थकत कृषि प्रणाली				
13	01-2401007890303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकेबोर्डाई) (एयोगिता)			0.00				कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता अनुदान				
14	01-2401007890331 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आयोकेबोर्डाई) (एयोगिता)	0.23	75.48									

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25					
कृषि विभाग												
श्रेणी C – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)												
15	01–2402001020112 भूमि संरक्षण कार्य	2672.00	3301.00	4713.60	3300.00	3300.00	3300.00	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि। वर्ता आकृति क्षेत्रों में जलवायन विकास एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कार्य करने के लिए हुए यूनिस चरक्षण तथा सिवाई युक्ति उत्पादन कारकों द्वारा उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना है।	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित निवेश और दुरित्यादी द्वारा			
16	01–2402007890101 भूमि संरक्षण कार्य	515.00	840.00	1200.00	840.00	840.00	840.00	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 6	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एस डी जी 15			
17	01–2402007960108 भूमि संरक्षण कार्य	32.00	59.00	86.40	60.00	60.00	60.00	कार्यक्रम कार्यालयन प्राचीनगिरकी एवं अवसरक्षन	कार्यक्रम कार्यालयन प्राचीनगिरकी एवं अवसरक्षन			
18	01–2402001020213 एकीकृत जल संमर प्रधान कार्यक्रम (आईएलपीएसपी)	6513.00	4359.00	9806.76	6865.00	6865.00	6865.00	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।			
19	01–2402007890202 एकीकृत जल संमर प्रधान कार्यक्रम (आईएलपीएसपी)	1256.00	1109.00	2482.24	1738.00	1738.00	1738.00	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।			
20	01–2402007960209 एकीकृत जल संमर प्रधान कार्यक्रम (आईएलपीएसपी)	78.00	78.00	178.28	125.00	125.00	125.00	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।	प्रकल्प वेक्षक डेम, गाद- अवरोधक वाधा, आहर का जिर्णवाहिक, मेड्यमटी, स्टेचुगाई ट्रैक एवं पौधा रोपन आदि।			
21	01–2402007960302 एकीकृत जल संमर प्रधान कार्यक्रम (आईएलपीएसपी)	0.00	0.00									
22	01–2402007960309 एकीकृत जल संमर प्रधान कार्यक्रम (आईएलपीएसपी)	56.00	26.00									
23	01–2401001190324 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	553.33	982.35	691.99	346.00	346.00	346.00					
24	01–2401001890335 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	106.66	250.00	175.29	88.00	88.00	88.00	सतत यूनियन प्रयोग और योजना	सतत यूनियन प्रयोग और योजना			
25	01–2401007960357 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	6.66	17.50					एस डी जी 2	एस डी जी 2			
26	01–2401001190224 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	830.00	2358.00	2979.63	1490.00	1490.00	1490.00	अनुदान	अनुदान			
27	01–2401007890235 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	160.00	600.00	753.71	377.00	377.00	377.00	कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता	कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता			
28	01–2401007960257 राष्ट्रीय बागवानी निष्ठन	10.00	42.00	54.16	27.00	27.00	27.00					
		योगफल	21099.38	26599.73	30774.17	20533.00	20533.00					

क्र.	पिपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
अधीनी C – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)										
पशु एवं मत्त्य संसाधन विभाग										
1	02-2405001010104 तालाब भवस्त्रपालन का विकास एवं जीणांदार	4819.28	5843.19	7242.19	5431.64		हरित निवेश और बुनियादी ढाचा			
2	02-2405001010117 मत्त्य सम्पदा- 7 निश्चय-2	4167.97	5620.88	7494.00	5620.50	कार्यक्रम कार्यालयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरपत्रन	एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14			
3	02-2405007890102 मत्त्य सम्पदा- 7 निश्चय-2	842.11	1500.00	2000.00	1500.00	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन सत्रत मूलि उदयना और योजना	एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14			
4	02-2405007960110 मत्त्य सम्पदा- 7 निश्चय-2	42.86	379.13	506.00	379.50	1. घु-जल खसर में दृद्धि । 2. जल संखणा । 3. जल संसाधनों का प्रस्थानात उपयोग। 4. प्राकृतिकी सुरक्षा। 5. अनुपयोगी जीणीन का उपयोग संगठित मत्त्य पालना हुत करना।	एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14			
5	02-2405007890101 मुख्यमन्त्री तालाब सार्वजनिक विकास मक्कुओं की सहायता	0.00	2052.75	2563.00	1922.25	अनुदान	हरित अध्यक्षपत्रा और रोजगार			
6	02-2405007960109 तालाब सार्वजनिक विकास मक्कुओं की सहायता	0.00	518.80	648.44	486.33	कार्यक्रम कार्यालयन प्रशिक्षण एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन	एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 14			
शिक्षा विभाग										
1	21-4202012010106 जल-जीवन-हरिताली	0.00	75.00	0.00		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवयु प्रारंभित इमान और अनुकूलन	जलवयु के प्राथमिक एवं मध्य विद्युतय अन्तर्गत शिविरित विद्यार्थियों में वाटर हारेसिटेंस का निर्माण 80,000/- (अन्तर्गत हजार 40) मात्र प्रति विद्युतय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्तर्गत निर्माण कार्य की योजना है।			
2	21-4202012020115 जल-जीवन-हरिताली	0.00	375.00	0.00		एवं उच्चतर माध्यमिक विद्युतय अन्तर्गत विद्यार्थियों में वाटर हारेसिटेंस का निर्माण 80,000/- (अन्तर्गत हजार 40) मात्र प्रति विद्युतय की दर से निर्माण किया गया है। साथ ही साथ जल संचयन एवं अन्य हेतु नियमान कार्य की योजना है।	एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रौद्योगिकी एवं अवसरपत्रन			
	योगफल	0.00	450.00							

क्र.	विपत्र काउंट एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2024-25	पर्यावरण संबंधी प्रसांगिकता योजना के मुख्य उद्देश्य			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान				
शेषी C – हरित बजट अनुमान 50 से 75 प्रतिशत (उच्च)									
परिवहन विभाग									
1	47-3055001900102 बिहार राज्य पथ परिवहन नियम	0.00	4000.00	11600.00	8700.00	बिहार राज्य पथ परिवहन नियम द्वारा नये सी07एन0गी0 बसों के क्रम हेतु अनुदान।	हरित नियम और बुनियादी ढांचा वायु और जल प्रदूषण उपचान एस डी जी 11 एस डी जी 13 अनुदान नियम कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरवर्तन		
	योगफल	0.00	4000.00	11600.00	8700.00				
जलयाग विभाग									
1	23-2851001070101 रेखम विकास की योजना			400.00	274.00	झंकारी कीटनाशकों द्वारा अड़े एवं आमन/अनुप्रान के पांचों का वृक्षारोपण करना ताकि उनकी आणिक स्थिति को मजबूत करना। जाय एवं स्वरोजगार सुरक्षित हो सके।	हरित अंथर्यामशा और रोजगार सतत भूमि उपयोग और योजना एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15 अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरवर्तन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्तन		
2	23-2852801020160 ओद्योगिक प्रोत्साहन नीति	0.00		49753.00	34080.80	ओद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत इन्होनील उत्तराधान प्लाटफॉर्म की स्थापना में सहभागी के रूप में सहायता प्रदान करना। ताकि राज्य में जेविक ईंधन के विकल्प के रूप में इन्होनील को बढ़ावा देकर यात्रा प्रदूषण को कम किया जा सके।			
	योगफल	0.00	0.00	50153.00	34354.80				
पचासवी राज विभाग									
1	16-2515001980115 सात नियशय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	12695.04	9521.00	सुशासन के कार्यक्रम – 2020-2025 के अंतर्गत ¹ “आगामिनिःर विहार” के सात नियशय-2 के कार्यक्रम के तहत “स्वच्छ गाँव – समझौते” नियशय के प्रयोग के प्रत्येक घाँव में 10 सोलर स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्यक्रम है। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति चायनेत सूची में खेत-कृद का आयोगन झलक, स्वाच्छ केन्द्र एवं सार्वजनिक खेतों के प्रशिक्षिकता के आधार पर सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिकायन किया जाना है। जिनका पाव वर्ष तक रघु-रघुवाल की तिम्मवासी अधिकायन जिये जाने वाले एजेंसी की होगी।	हरित नियम और बुनियादी ढांचा एस डी जी 7 एस डी जी 11 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरवर्तन		
2	16-251500790115 सात नियशय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	14162.96	10622.00				
3	16-2515007960120 सात नियशय सोलर स्ट्रीट लाईट	0.00	0.00	742.00	556.00				
	योगफल	0.00	0.00						
50 से 75 प्रतिशत शेषी का कुल बजट योगदान									
	50 से 75 प्रतिशत शेषी का कुल	133783.08	332557.72	567858.84	375961.67				

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25					
नगर विकास एवं आवास विभाग												
शेफो 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)												
1	48-2215021910102 नाला निमाण, सीवरेज एवं अन्य सोनिटेशन योजना	0.00	60.00	1312.00	393.00							
2	48-2215021920102 नाला निमाण, सीवरेज एवं अन्य सोनिटेशन योजना	0.00	60.00	100.00	30.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नाला, सिवरेज एवं अन्य सोनिटेशन कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छता एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।						
3	48-2215021930102 नाला निमाण, सीवरेज एवं अन्य सोनिटेशन योजना	0.00	60.00	100.00	30.00							
4	48-2215021980101 नाला निमाण, सीवरेज एवं अन्य सोनिटेशन योजना	2574.06	5550.00	2000.00	600.00							
5	48-2215021070101 स्ट्रॉम वाटर इंटेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	5277.59	15000.00	4500.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में जल-साधारण की समस्या के समाधान हेतु योजना (नाला, सिवरेज एवं अन्य सोनिटेशन कार्य) किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को स्वच्छता एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।						
6	48-22150219780103 स्ट्रॉम वाटर इंटेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	4764.91	11500.00	3450.00							
7	48-22150227960105 स्ट्रॉम वाटर इंटेज सिस्टम-सात निश्चय-2	0.00	637.50	3500.00	1050.00							
8	48-2217011910109 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	59.32	2250.00	500.00	150.00	इस योजना के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में पार्क निर्माण, तालाब, पोखर का जलांधार कार्य किया जाता है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में से पार्करण का स्वच्छ एवं प्रदूषित रखने में सहायक है।						
9	48-2217011910116 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	79.50	900.00	500.00	150.00							
10	48-2217031920105 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	156.56	900.00	500.00	150.00							
11	48-2217031930104 नगर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं सहायक अनुदान	69.53	750.00	500.00	150.00							
12	48-5075601900101 पटना मेट्रो लैल	47950.00	21500.00	5000.00	2500.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुधार प्रदूषण रहित सुविधा हानि तथा यातायात पर दबाव कम होगा। जो शहरी क्षेत्रों में से पार्करण का स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।						

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासंगिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेणी D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)										
नगर विकास एवं आवास विभाग										
13	48-2217010510102 मोक्ष धाम का निर्माण-सात निश्चय-2	0.00	0.00	0.01	0.00	इसके योजना के अंतर्गत शब्दाह हेतु विद्युत /पर्यावरणात शब्दाह गह का निर्माण किया जाना है, वितरण से शब्दाह को वैज्ञानिक तरीके से दह संस्कार किया जायेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करने से मदद मिलेगी।	स्वच्छता और अपाशिष्ट प्रबंधन वायु और जल प्रदूषण उपयोग एस ई जी 11 कार्यक्रम कार्यालयवान प्रौद्योगिकी एवं अवसरकान			
14	48-2217030510102 मोक्ष धाम का निर्माण-सात निश्चय-2	0.00	4800.00	4999.99	1999.99	जलवायु परिवर्तन शान और अनुकूलता हरित निवेश और बुनियादी ढांचा एस ई जी 9 एस ई जी 11 एस ई जी 15 निवेश कार्यक्रम कार्यालयवान प्रौद्योगिकी एवं अवसरकान	एस ई जी 11 एस ई जी 15 निवेश कार्यक्रम कार्यालयवान प्रौद्योगिकी एवं अवसरकान			
15	48-50756005000101 पट्टा भेट्टा रस्ते	0.00	1000.00	500.00	500.00	इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुगम एवं प्रदूषण रहित धूकिया होगी तथा यातायात पर दबाव कम होगा, जो शहरी क्षेत्रों में से पर्यावरण को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित रखने में सहायक है।				
16	48-7075601900101 पट्टा भेट्टा रस्ते	0.00	2000.00	1000.00	1000.00					
		योगफल	50888.97	47510.00	48512.00	16652.99				
कृषि विभाग										
1	01-2401001040106 कृषि में नवीनता को प्रोत्ताहन	2801.00	3966.04	9034.40	4065.00	सतत शुभि उपयोग और योजना एस ई जी 2 एस ई जी 6 एस ई जी 15 कार्यक्रम कार्यालयवान प्रौद्योगिकी एवं अवसरकान	सतत शुभि उपयोग और योजना एस ई जी 2 एस ई जी 6 एस ई जी 15 कार्यक्रम कार्यालयवान प्रौद्योगिकी एवं अवसरकान			
2	01-2401007890147 कृषि में नवीनता को प्रोत्ताहन	540.00	1009.19	2300.00	1035.00	जल जीवन एवं हासिलाही योजना/जलवायु परिवर्तन से संबंधित खेती का प्रोत्ताहन।				
3	01-2401007960169 कृषि में नवीनता को प्रोत्ताहन	34.00	70.71	165.60	75.00					
4	01-2401001190101 उद्यान विकास योजना	6450.00	11012.00	23568.00	11784.00	उद्यानिक क्षेत्रों का क्षेत्र विस्तार, एवं वर्षा एवं बहु वर्षा, तथे साथी वीजों को प्रोत्ताहन देना, सुरक्षित योगों का क्षेत्र विकास-में लेनदेन, सहजन का वीज वितरण, मध्याना का घोर में क्षेत्र विस्तार, रुक्त टॉप गार्डन	सतत शुभि उपयोग और योजना एस ई जी 2 एस ई जी 15 कार्यक्रम कार्यालयवान			
5	01-2401007890130 उद्यान विकास योजना	1243.00	2804.00	6000.00	3000.00					
6	01-2401007960152 उद्यान विकास योजना	78.00	196.00	432.00	216.00					

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान						
कृषि विभाग												
श्रेणी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)												
7	कृषि उन्नति योजना (तेल तिलहन + खाद्य एवं पाषण सुरक्षा)	1727.96	2987.00	3886.21	1943.00							
8	राष्ट्रीय खाद्य प्रक्षेपण मिशन	249.53	760.00	1071.26	536.00							
9	01-2401007960259	10.01	53.00	71.92	36.00	इसका मुख्य उद्देश्य धान, गेहूँ दलहन, पूरा, गन्ना फसल तथा तेलहन एवं उत्पादन का उत्पादन एवं उत्पादकों वडोंने हेतु सभी आवश्यक स्थानों पर वितरण, प्रतिक्षण एवं प्रशिक्षण, इत्यादि उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पाषण सुरक्षा उपलब्ध कराना है।	सत्र भूमि उपयोग और योजना हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार एस डी जी 2 एस डी जी 15					
10	कृषि उन्नति योजना (तेल तिलहन + खाद्य एवं पाषण सुरक्षा)	850.66	1769.00	893.27	447.00							
11	01-2401007960323			450.00								
12	राष्ट्रीय खाद्य प्रक्षेपण मिशन	6.67	32.00	16.72	8.00							
13	01-2401001030218 बीज एवं सोपा सामग्री उप-मिशन	0.00		687.84	172.00	बीज ग्राम के माध्यम से प्रामाणित बीज (धान, अमरु, उड्ड, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मूँग छेंचा) उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकों में वृद्धि करना।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 2					
14	01-2401001090218 प्रधानमंत्री कृषि सिर्वार्ड योजना	788.50	0.00	2653.43	1194.00							
15	01-2401007960261 प्रधानमंत्री कृषि सिर्वार्ड योजना	0.50	0.00	48.26	22.00	भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बद्धित विभिन्न प्रकार के संवर्धन का नियांण, पाधा रोपण, प्रशिक्षण, स्वयं सहायता समूह का गठन, पूर्णिमिति किसानों के लिए कार्यान्वयन एवं उत्पादन प्रणाली आदि स्थानकरता/उपकरण सिर्वार्ड की योजना।	सत्र भूमि उपयोग और खनियांदी दरावा हरित विवेष और खनियांदी दरावा कृषिक्रम वार्षिक्यन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन एस डी जी 6 एस डी जी 15					
16	01-2401001090318 प्रधानमंत्री कृषि सिर्वार्ड योजना	525.39	0.00	616.44	277.00							
17	01-2401007960249 सर्वमिशन ऑन चीड एण्ड लाइंटिंग मेंटेसिटल	0.00	0.00	174.65	44.00	बीज ग्राम के माध्यम से प्रामाणित बीज (धान, अमरु, उड्ड, गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मूँग छेंचा) उत्पादन हेतु किसानों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकों में वृद्धि करना।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 2					
18	01-2401007960371 सर्वमिशन ऑन चीड एण्ड लाइंटिंग मेंटेसिटल	0.00	0.00	2.91	1.00							

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी		पुन. अनुमान		हरित बजट		हरित बजट अनुमान						
कृषि विभाग														
शेणी D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)														
19	01–2401007890239 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	152.00	0.00	673.31	303.00	71.00	71.00	6.00	303.00	सतत भूमि उपयोग और योजना हरित निवेश और बृन्दियादी ढांचा हरित अधिकारक्षण और रोजगार				
20	01–2401007890339 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	101.28	0.00	156.69	156.69	12.92	12.92	1.00	156.69	भूमि एवं जल संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संवर्धन का निर्माण, पोषण, प्रशिक्षण, स्थायी सहराता समृद्ध का गठन, भूमिहित केशालों के लिए कार्यान्वयन एवं उत्तरदान प्रणाली आदि स्थिरकालीर/टपकान सिंचाई की योजना				
21	01–2401007960361 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	6.33	0.00	11.22	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन प्रोत्योगिकी एवं अवधारणा				
22	01–2401007960357 राष्ट्रीय वाग़वानी सिशन कृषि योजना			0.00	12.94	6.00	6.00	0.00	6.00	उद्यानिक फलों का क्षेत्र विस्तार, एक वर्षीय एवं बहु वर्षीय, इंगिप सिंचाई इत्यादि।				
66										अनुदान कार्यक्रम वाग़वानी शिक्षा एवं जागरूकता				
										सतत भूमि उपयोग और योजना				
										हरित निवेश और बृन्दियादी ढांचा				
										एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15				
										अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रोत्योगिकी एवं अवधारणा				
										अनुदान प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन अनुसंधान एवं विकास				
भूमि एवं मरम्य संसाधन विभाग														
1	02–2405001010219 नीली काति-समेकित विकास एवं मरम्य पालन का प्रबंधन	2709.43	1191.40	5636.24	1690.87	676.53	676.53	1408.87	422.66	1. भू-जल स्तर में बढ़दा। 2. जल संसाधनों का प्रस्तरागत उपयोग। 3. पारिवहिकी सुलगान। 4. अनुपयोगी जमीन का उपयोग संगति मरम्य पालन हेतु करना।				
2	02–2405001010319 नीली काति-समेकित विकास एवं मरम्य पालन का प्रबंधन	697.19												
3	02–2405007890201 सिंचाई तालाब निर्माण, आईटी भूमि का विकास, इन्टर्न एवं नया तालाब निर्माण।	88.00	318.00	1504.20	451.26	88.00	318.00	1504.20	451.26					
4	02–2405007960201 सिंचाई तालाब निर्माण, आईटी भूमि का विकास, इन्टर्न एवं नया तालाब निर्माण।	32.00	80.60	380.56	114.17									

क्र.	विषय कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासादिकता			
		हस्त बजट वार्ताली	पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हस्त बजट अनुमान					
शेणी D' – हस्त बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)										
पृष्ठ एवं मत्त्य संसाधन विभाग										
5	02-2405007890301 सिपाहिसंग तालाब निर्माण, आईटी बूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	58.67	120.00	376.00	112.80	1. झु-जल खत्तर में दृष्टि। 2. जल संरक्षण। 3. जल संसाधनों का परम्परागत उपयोग। 4. पारिवहिकी सुरक्षा। 5. अनुपयोगी जमीन का उपयोग संभालत मत्त्य पालना हेतु करना।	हस्त निवेदा और बुनियादी ढारा			
6	02-2405007960301 सिपाहिसंग तालाब निर्माण, आईटी बूमि का विकास, इनपुट एवं नया तालाब निर्माण।	21.36	30.33	95.13	28.54		एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15			
	योगफल	3606.65	2416.86	9401.00	2820.30					
उद्योग विभाग										
1	23-2851001070101 रेशम विकास योजना	121.00	218.75			क्षेत्रीय कीटपालकों द्वारा तस्वर पर्यंत अकेली के पौधों का वृक्षाशोषण करते हुए उनकी आर्थिक विकास को भजवान् करना। एवं स्वराजगार मूलित करना।	हस्त अध्यवस्था और रोजगार सत्रात भूमि उपयोग और योजना			
	योगफल	121.00	218.75				एस डी जी 2 एस डी जी 6 एस डी जी 15			
पंचायती राज विभाग										
1	16-2515001960003 15वें वित्त आयगा (United)	0.00		24684.00	9873.60	प्राकृतिक समाधान प्रबंधन हस्त अध्यवस्था और रोजगार				
2	16-2515001970001 15वें वित्त आयगा (United)	0.00		24684.00	9873.60	प्राकृतिक समाधान प्रबंधन हस्त अध्यवस्था और रोजगार				
3	16-2515001980001 15वें वित्त आयगा (United)	0.00		115192.00	46076.80	प्राकृतिक समाधान प्रबंधन हस्त अध्यवस्था और रोजगार				

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेषी 'D' – हरित बजट अनुमान 25 से 50 प्रतिशत (उच्च)										
पंचायती राज विभाग										
4	16–2515001960007 पट्टम राज्य वित्त आयोग	0.00		61805.25	30902.63	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन हरित अध्यायवाङ्मा और रोपगार सातत शुमि उपयोग और योजना				
5	16–2515001970004 पट्टम राज्य वित्त आयोग	0.00		61805.25	30902.63	पट्टम राज्य वित्त आयोग के अनुशासन के तहत समान नियम (50 प्रतिशत) गांधी का व्यव होस अपार्श्व का संग्रहण एवं निपटान, गांधी का व्यव होस अपार्श्व का निपटान, सार्वजनिक शैक्षालय, शमशान घाट एवं कविस्थान के नियमांश तथा खेत के सेवानों का प्रबंधन आदि कार्यों। में राज्य व्यव किये जाने की सम्भावना है।				
6	16–2515001980009 पट्टम राज्य वित्त आयोग	0.00		288424.50	144212.25	नियंत्र कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरयना				
	25 से 50 प्रतिशत शेषी का कुल बजट योगदान	योगफल	0.00	0.00	313108.50	154085.85				
			70190.45	75254.55	423498.57	198799.14				
शेषी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)										
ग्रामीण कार्य विभाग										
1	37–4515001030316 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1815.95	19543.43	34372.00	7884.95	हाइस्ट निपटा और बुनियादी ढाचा हाइक किनारे बकारोगां, ल्यास्टि का कवचा और अन्य हाइक ग्रामपालिकाओं का उपयोग करके सड़क निर्माण कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरयना				
		योगफल	1815.95	19543.43	34372.00	7884.95				

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेषी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)										
नगर विकास एवं आवास विभाग										
1	48-2217011910115 परिवहन के शहरी खानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00		1000.00	100.00					
2	48-2217031930103 परिवहन के शहरी खानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00		950.00	950.00					
3	48-2217017890102 परिवहन के शहरी खानीय निकायों को सहायक अनुदान	5.66	149.99	500.00	50.00					
4	48-2217037890102 परिवहन के शहरी खानीय निकायों को सहायक अनुदान	110.92	450.00	1500.00	150.00					
5	48-2217037960101 शहरी खानीय निकायों को सहायक अनुदान	0.00	100.00	0.00						
6	48-2217030510202 अमृत (AMRUT)	286.00	5240.00	0.00						
7	48-2217030510302 अमृत (AMRUT)	0.00	800.00	0.00	0.00					
8	48-2217030510204 स्टार्ट स्टार्टी मिशन	490.00	900.00	10000.00	500.00					
9	48-2217030510304 स्टार्ट स्टार्टी मिशन	1000.00	500.00	6000.00	300.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शीणी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (भीमांत)										
नगर विकास एवं आवास विभाग										
10	48-3475007960202 स्थान जंयती शहरमुखी योजना (NULL)	0.00	8.75	0.00			जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हारित अधिकारक्षया और रोपागार			
11	48-347500796302 स्थान जंयती शहरमुखी योजना (NULL)	3.47		0.00			एस ही जी 11 एस ही जी 13 एस ही जी 15 कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता			
12	48-2217010510201 स्थान सिटी मिशन	245.00	900.00	10000.00	500.00					
13	48-2217010510301 स्थान सिटी मिशन	285.00	500.00	6000.00	300.00		जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन हारित निवेश आवास बुनियादी ढाचा			
14	48-2217030510206 स्थान सिटी मिशन	245.00	900.00	10000.00	500.00		एस ही जी 7 एस ही जी 11 एस ही जी 13			
15	48-2217030510306 स्थान सिटी मिशन	245.00	500.00	6000.00	300.00					
16	48-2217030510207 स्थान सिटी मिशन	0.00	900.00	10000.00	500.00		कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसंरचना			
17	48-2217030510307 स्थान सिटी मिशन	0.00	500.00	6000.00	300.00					
18	48-2217030510208 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	104800.00	10480.00					
19	48-2217030510308 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	21000.00	2100.00		हारित निवेश और बुनियादी ढाचा खर्चका और प्रभावित प्रशंसन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन			
20	48-2217030510209 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	3400.00	340.00		एस ही जी 6 एस ही जी 11 एस ही जी 12			
21	48-2217030510210 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	5000.00	500.00					
22	48-2217030510211 अमृत (AMRUT)	0.00	0.00	4000.00	400.00		कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसंरचना			
	गोपकर्ता	2916.05	12348.74	214700.00	18270.00					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता		
		हस्त बजट	वारतविकी	हस्त बजट	बजट अनुमान	हस्त बजट	बजट अनुमान	हस्त बजट	बजट अनुमान				
शेणी 'E' – हस्त बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)													
		कृषि विभाग											
1	01–2401001030109 बीज धूपन कार्मा का वित्तार छोटी पर व्यय	2857.00	2673.47	15240.98	3048.00						जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन		
2	01–2401007890117 बीज धूपन कार्मा का वित्तार छोटी पर व्यय	551.00	542.67	3879.00	776.00	आधार/ प्रमाणित बीज उत्पादन कार्डक्रम					एस ई जी 2		
3	01–2401007960140 बीज धूपन कार्मा का वित्तार छोटी पर व्यय	34.00	37.95	279.35	56.00						कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
4	01–2401001030218 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	415.67										
5	01–24010010890249 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	105.81										
6	01–2401007960271 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	7.56	12.51	3.00	बीज ग्राम के माध्यम से प्राणित बीज (धान, अरहर, उड्ड, रोहदूँ चना, मटर, सरसों, मूँग दीचा) उत्पादन हेतु विसर्गों को प्रशिक्षण देना तथा उत्पादन/उत्पादकता में वृद्धि करना।						जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन	
7	01–2401001030318 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	263.91	160.09	40.00						एस ई जी 2		
8	01–24010010890349 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	67.00	40.35	10.00						कार्यक्रम कार्यालयन प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन		
9	01–2401007960371 बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन	0.00	4.69	0.00									
10	01–2401001080220 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयत पाम निशन	0.00	163.00	0.00									
11	01–2401007890234 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयत पाम निशन	0.00	42.00	0.00		तेलहनी फसलों का उत्पादन को बढ़ावा देना							
12	01–2401007960256 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयत पाम निशन		3.00	0.00									
13	01–2401001080320 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयत पाम निशन	0.10	89.00	0.00									

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हस्त बजट	वार्ताविकी	हस्त बजट	बजट अनुमान	हस्त बजट	बजट अनुमान	हस्त बजट	बजट अनुमान					
श्रेणी 'E' – हस्त बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)														
कृषि विभाग														
14	01-2401007890334 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयल पाम निशन	0.00	23.00	0.00						जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 2				
15	01-2401007960356 राष्ट्रीय तिलहन तथा आँयल पाम निशन	0.00	2.00	0.00						कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जगारकका प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन				
	योगफल	3442.10	4440.72	19612.28	3933.00									
भवन निर्माण विभाग														
1	03-4059010510101 भवन	2744.16	1253.00	17950.00	3590.00					हस्त निश्चा और बुनियादी ढांचा जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 6				
2	03-42160117000101 अन्य आवास	2744.16	3010.00	43000.00	8600.00					एस डी जी 7				
3	03-4059800510110 न्यायिक भवन	0.00	0.00	25.00	5.00					एस डी जी 11				
4	03-42160117000102 न्यायिक आवासीय भवन	0.00	0.00	25.00	5.00					एस डी जी 12				
	योगफल	5488.32	4263.00	61000.00	12200.00					एस डी जी 13				
जल संराधन विभाग														
1	49-2705000010204 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	0.00	100.00	500.00	100.00					सतत धूमि उपयोग और योजना हस्त निश्चा और बुनियादी ढांचा हस्त अर्थव्यवस्था और रोजगार एस डी जी 2				
2	49-2705000010304 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	633.00	564.40	2823.00	564.00					एस डी जी 6				
3	49-470800510207 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	812.60	1316.40	11842.00	2368.40					कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसंरचना				
4	49-470800510309 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	1333.80	681.00	500.00	100.00									

क्रं.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)					
जल संरक्षण विभाग														
शीमी 'E' – हरित बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)														
5	49-4700800050101 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	100.00	140.00	200.00	40.00	200.00	40.00	200.00	40.00	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजनार	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
6	49-4700800510102 नदी बेतिस्तों को जोड़ने की योजना	9,888	60.00	100.00	20.00	8000.00	200.00	8000.00	200.00	एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोग्रामिकी एं अंतररक्षन	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
7	49-4700800510104 सिंचाई सुरक्षन परियोजनाएं (कार्य) नवार्ड ऋण की योजनाएं	18600.00	8002.50	8000.00	2000.00	8000.00	2000.00	8000.00	2000.00	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा प्राकृतिक संरक्षण प्रबंधन	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
8	49-4700800510105 सिंचाई सुरक्षन परियोजनाएं (कार्य) सिंचाई सुरक्षन परियोजनाएं (कार्य)	11,586.25	25339.25	68000.00	17000.00	68000.00	17000.00	68000.00	17000.00	एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोग्रामिकी एं अंतररक्षन	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
9	सिंचाई सुरक्षन परियोजनाएं (कार्य) सिंचाई सुरक्षन परियोजनाएं (कार्य)	6705.50	9748.50	36530.00	9132.50	36530.00	9132.50	36530.00	9132.50	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजनार	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
10	49-4700800510310 उत्तर कागल जलाशय परियोजना	0.00	1358.20	12068.00	2413.60	12068.00	2413.60	12068.00	2413.60	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
11	49-4711010510110 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	840.00	1225.00	10650.00	1065.00	10650.00	1065.00	10650.00	1065.00	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
12	49-4711017890104 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	2330.00	2372.90	23350.00	2335.00	23350.00	2335.00	23350.00	2335.00	एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोग्रामिकी एं अंतररक्षन	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
13	49-4711017960101 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य)	313.30	402.10	3800.00	380.00	3800.00	380.00	3800.00	380.00	हरित नियंत्रण और बुनियादी ढाँचा हरित अर्थव्यवस्था और रोजनार	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			
14	49-4711010510111 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं (कार्य) नवार्ड ऋण की योजनाएं	600.00	300.00	2000.00	200.00	2000.00	200.00	2000.00	200.00	एस डी जी 2 एस डी जी 6 कार्यक्रम कार्यालयन प्रोग्रामिकी एं अंतररक्षन	प्राकृतिक संरक्षण अनुभाव			

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हस्त बजट वार्ताविकी	हस्त बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हस्त बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25					
शीमी 'E' – हस्त बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)												
जल संरक्षण विभाग												
15	49-4711010510209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाट्टा प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संरक्षण के अंत्य कार्यक्रम	7280.00	8008.00	88100.00	8810.00			प्राकृतिक सम्पदान प्रबंधन सतत शुभमि उपयोग और याजना				
16	49-4711010510309 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाट्टा प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संरक्षण के अंत्य कार्यक्रम	516.60	2198.20	12600.00	1260.00			एस डी जी 2 एस डी जी 6				
17	49-4711010510212 सेमा देवत्र मंदिर प्रबंधन गतिविधि एवं कार्य	1650.00	1815.00	20000.00	2000.00			कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरक्यना				
18	49-4708070890103 हर खेत तक सिंचाई का पानी—सात नियन्त्रण—2	400.00	1000.00	4000.00	1000.00			हस्त नियेश और ब्रूनिया दी ढांचा प्राकृतिक सम्पदान प्रबंधन				
19	49-4708070890101 हर खेत तक सिंचाई का पानी—सात नियन्त्रण—2	25.00	125.00	500.00	125.00			एस डी जी 2 एस डी जी 6				
20	49-4708000510106 हर खेत तक सिंचाई का पानी—सात नियन्त्रण—2	2075.00	3875.00	15500.00	3875.00			कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरक्यना				
21	03-4059800510124 जल संरक्षण विभाग के भवनों का निर्माण	0.00	0.00	2000.00	200.00			हस्त नियेश और ब्रूनिया दी ढांचा हस्त अश्ववश्चा और रोजारा				
22	49-4711010510102 जल नियन्त्रण से संबंधित कार्य	0.00	0.00	200.00	20.00			एस डी जी 2 एस डी जी 6				
परिवहन विभाग												
1	47-3055001990101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	421.68	45.00					जलवायु परिवर्तन 'मन और अनुकूलन				
2	47-3055007890101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	81.30	100.00					एस डी जी 13 एस डी जी 15				
3	47-3055007960101 मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना	5.09	10.00					अनुदान कार्यक्रम कार्यालयन प्रोद्योगिकी एवं अवसरक्यना				
	योगफल	55360.93	68631.45	323263.00	55008.50							

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासादिकता
		हस्त बजट वारतविकी	हस्त बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हस्त बजट अनुमान		
शेषी 'E' – हस्त बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)							
						पर्यटन विभाग	
<p>पर्यटकणीय स्थिति को देखते हुए विकास एवं सोनभरीकरण का कार्य करता जाता। साथ ही कन. पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पाल विविधकर राज्य में इके-दूरिम का विकास किया जाता। जलवायु आपूर्ति एवं संरक्षण प्रयत्न किया जाता। ट्रैकार्टी जलवायु-पर्यावरणीय स्थिति स्थान के समीप अधिक पुष्टकरणीय सरोकर में जलपृष्ठ। राजगाँव रुजु नाम एवं उत्तरकाश के ध्यान में रखते हुए विकास एवं सोनभरीकरण किया जाता। नालन्दा क्षेत्र का सोनभरीकरण राजगाँव के धारा-कटाई में पर्यटकणीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए विकास एवं सोनभरीकरण किया जाता। नालन्दा जिलान्तरीत राजगाँव के धारा-कटाई में पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं रखते हुए विकास एवं सोनभरीकरण किया जाता। ध्यान में रखते हुए विकास एवं सोनभरीकरण किया जाता। ग्रामीण विकास विभाग</p>							
1	46-5452011010104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	1952.61	2699.40	16200.00	3524.72		
	योगफल	1952.61	2699.40	16200.00	3524.72		
<p>1 42-2501061010202 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p> <p>2 42-2501061010302 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p> <p>3 42-2501061890202 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p> <p>4 42-2501067890302 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p> <p>5 42-2501067960202 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p> <p>6 42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)</p>							
1	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			124634.00	13086.57	हारित अर्थव्यवस्था और रोजगार 6.....	
2	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			64087.00	6729.14	एस ई जी 5 एस ई जी 8	
3	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			25918.00	2721.39	एस ई जी 5 एस ई जी 8	
4	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			13327.00	1399.34	अनुदान कार्यक्रम कार्याचयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन	
5	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			2448.00	257.04		
6	राष्ट्रीय ग्रनीण आर्जिविका भिशन (एन.आर.एल.एम.)			1259.00	132.20		

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हस्त बजट	वार्ताविकी	हस्त बजट	युन. अनुमान	बजट अनुमान	हस्त बजट					
शीफी 'E' – हस्त बजट अनुमान 5 से 25 प्रतिशत (सीमांत)												
ग्रामीण विकास विभाग												
7	42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		1080.00		113.40				
8	42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		120.00		12.60				
9	42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		4880.00		512.40				
10	42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		814.00		85.47				
11	42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		1016.00		106.68				
12	42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		170.00		17.85				
13	42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		104.00		10.92				
14	42-250106790305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		16.00		1.68				
15	42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		3000.00		315.00				
16	42-2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		2500.00		262.50				
17	42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकापर्जन निशन एनआरएलएम.			0.00		2000.00		210.00				
		योगफल		0.00		247373.00		25974.18				
	5 से 25 प्रतिशत शीफी का कुल बजट योगदान			71984.03		112081.73		916520.28				
								126795.35				

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	पुन. अनुमान	हरित बजट	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)												
नगर विकास एवं आवास विभाग												
1	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)	0.00	206.25	0.00								
2	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)	0.00	0.00	0.00								
3	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)	0.00	160.00	0.00								
4	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)	0.00	0.00	0.00								
5	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)	0.00	8.75	0.00								
6	स्पर्ण जंयती शहरसेम्बुखी योजना (NUM)		0.00	0.00								
	योगफल	0.00	375.00	0.00	0.00							
ग्रामीण विकास विभाग												
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भित्ति न (एन.आर.एल.एम.)	5394.95	4193.49									
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भित्ति न (एन.आर.एल.एम.)	2882.56	3135.70									
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भित्ति न (एन.आर.एल.एम.)	5543.16	3042.30									
4	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भित्ति न (एन.आर.एल.एम.)	2961.60	1082.85									
5	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका भित्ति न (एन.आर.एल.एम.)	2535.79	1391.75									

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी		हरित बजट पुन. अनुमान		बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेषी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)												
ग्रामीण विकास विभाग												
6	42-2501067960302 राष्ट्रीय ग्रामीण आवासिका विश्वान एन.आर.एल.एम.)	1356.63	495.40									
7	42-2501061010205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	38.00	50.00									
8	42-2501061010305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	25.33	126.67									
9	42-2501061010206 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	231.00									
10	42-2501061010306 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	33.00									
11	42-2501067890205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	108.50									
12	42-2501067890305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	15.50									
13	42-2501067960205 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	10.50									
14	42-2501067960305 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	1.45									
15	42-2501061020201 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	635.40									
16	42-2501061020202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	75.00									
17	42-2501061020301 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन विश्वान एन.आर.एल.एम.	0.00	586.10									
	योगफल	20738.02	15214.61	0.00	0.00							

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23		वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25		वित्तीय वर्ष 2024–25		योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी		हरित बजट		बजट अनुमान		हरित बजट अनुमान						
शेणी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)														
यारीगण कार्य विभाग														
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन														
हरित अध्यायकथा और रोजगार														
एस ई. जी. 12														
एस ई. जी. 13														
एस ई. जी. 15														
कार्यक्रम कार्यालयन														
प्रोद्योगिकी एवं अवधारणाता														
पश्च एवं मत्स्य संसाधन विभाग														
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन														
हरित अध्यायकथा और रोजगार														
एस ई. जी. 14														
शिक्षा एवं जागरूकता														
पश्च नियन्त्रण विभाग														
जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण														
विषयालेक्ट सभी परियोजनाओं में आनेवार्य वन रोपण जैव विविधता के सरक्षण एवं पारिस्थितिकी संरक्षण का प्रबोधन है।														
कार्यक्रम कार्यालयन														
प्रोद्योगिकी एवं अवधारणा														
1	41–505403370508 सङ्क	1024.02	3993.38	137900.00	973.72									
2	41–505403370102 वृहद् पश्च	91.75	715.54											
3	41–5054037890101 वृहद् पश्च		0.00											
4	41–5054031010103 नावार्ट	0.00	924.21											
	योगफल	1115.77	5633.13	137900.00	973.72									

क्र.	विषय कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेफी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)										
शिक्षा विभाग										
1	21–2202010010105 शैक्षिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षिक आयोजन एवं महोस्तव	25.00	15.00	500.00	25.00	प्राथमिक शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के इकाईरान के प्रति जारीक एवं संवेदनशील बनाने हेतु कार्यशाला एवं विभिन्न सेमिनार का प्रवर्धन है।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन			
2	21–220201090103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिवर्षण	0.30	100.00	0.00		प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के इस योजना के तहत विहार के प्रुण्ड लोकिक उद्यानों एवं ग्राउन्डन स्थल का भ्रमन कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जारीक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुदूर बनाने के लिए कृत सकारात्मक होते हैं।	प्राकृतिक संरक्षण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन			
3	21–2202010010107 बिहार बाल भवन को अनुबन्धन	35.79	75.00	0.00		किनारारी भवनों पर सोर ऊर्जा द्लैट कम्पूटर एवं अन्य का सोर ऊर्जा से संचालन अन्यायक लाइट की बर्ती न जलाने हेतु प्रत्याहिन करना दूसर प्राप्त ग्राण्डीयों पर जैसे कीर्ति, गौरव, संस्कार आदि प्रा. जगति हेतु विद्या प्रतिशोधिता आयोगित की जाती है।	प्राकृतिक संरक्षण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन			
4	21–220201090110 मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	36.00	99.60	0.00		मध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को इस योजना के तहत बिहार के प्रमुख जैविक उद्यानों एवं पर्वतन स्थल का भ्रमण कराया जाता है जिससे विद्यार्थी पर्यावरण के प्रति जारीक होकर पर्यावरण को स्वच्छ तथा सुदूर बनाने के लिए कृत सकृदित होते हैं।	प्राकृतिक संरक्षण प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन			
5	21–4202012010105 प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण	300.00	470.12	70001.00	2100.03	बिहार शैक्षणिक आधारस्तु संरचना नियम लिमिटेड द्वारा ऐसी भवन के निर्माण का निर्देश है कि प्रति रोशनदात युक्त हो तथा दिन में बिजली की कम से कम आवश्यकता है। छत पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। विवल पर भी पर्यावरण जारीकरता का विकास दिया जा रहा है।	कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन			
6	21–4202012020103 माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	600.00	3428.91	46801.00	1404.03					

क्र.	विपत्र कोड एवं स्कीम का नाम	वित्तीय वर्ष 2022–23	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2024–25	वित्तीय वर्ष 2024–25	योजना के मुख्य उद्देश्य	पर्यावरण संबंधी प्रासारिकता			
		हरित बजट वार्ताविकी	हरित बजट पुन. अनुमान	बजट अनुमान	हरित बजट अनुमान					
शेफी 'F' – हरित बजट अनुमान 5 प्रतिशत तक (सीमांत)										
शिक्षा विभाग										
7	21–2202010010002 प्रोत्ताहन हेतु सामाजिक उत्तम	0.00	0.50				प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 4 एस डी जी 13 कार्यक्रम कार्यालयन शिक्षा एवं जागरूकता प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन			
8	21–2202011090004 प्रोत्ताहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्तम	0.00	0.25							
	योगफल	997.09	4189.38	117302.00	3529.06					
जूनना एवं जन–संपर्क विभाग										
1	24–2220601060101 क्षेत्रीय प्रचार याताना	411.00	410.00	8113.00	405.65	जल–जीवन हस्तियों अभियान के व्यापक प्रचार–प्रसार।	जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन एस डी जी 13 एस डी जी 15 शिक्षा एवं जागरूकता			
	योगफल	411.00	410.00	8113.00	405.65					
भवन नियमण विभाग										
1	03–205986005360001 अनुस्थान एवं मरमत	1553.40	2098.29	42500.00	2125.00		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जल संरक्षण हेतु वर्चा जल संवर्धन कार्य			
2	03–205986005360004 अनुस्थान एवं मरमत			7000.00	3500.00		प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जल संरक्षण हेतु वर्चा जल संवर्धन कार्य			
	योगफल	1553.40	2098.29	49500.00	2475.00					
	5 प्रतिशत शेफी का कुल बजट योगदान	36638.44	48455.36	757690.54	14498.46					
	महसोग	798957.63	1679354.30	3336207.64	1382339.34					

6. संदर्भ सूची

ब्यूरो ऑफ इनर्जी इफिशिएंसी, एलायंस फॉर ऐन इनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी, 2022. राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021–22. <https://stateenergyefficiencyindex.in/wp-content/uploads/2023/04/State-Energy-Efficiency-Index-2021-22-Report.pdf>

क्लाइमेट ट्रांसपैरेंसी. 2022. जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट 2022. <https://www.climate-transparency.org/g20-climate-performance/g20report2022>.

सतत वायु गुणवत्ता अनुश्रवण डैशबोर्ड <https://ncaptracker.in/caaqms-dashboard/>

एक्स्टीन, डेविड, वेरा कुंजेल, और लॉरा शैफर. 2021. ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf.

भारतीय वन सर्वेक्षण. 2022. “स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021”. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. <https://fsi.nic.in/forest-report-2021-details>

ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021. फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

बिहार सरकार. 2015. “राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना”.

बिहार सरकार. 2023. “बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022–23”. वित्त विभाग, बिहार सरकार.

बिहार सरकार. 2023. “चतुर्थ कृषि रोडमैप (2023–28)”. कृषि विभाग, बिहार सरकार.

बिहार सरकार. 2024. “बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023–24”. वित्त विभाग, बिहार सरकार.

भारत सरकार. 2011. जनसंख्या गणना. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत <https://censusindia.gov.in/census.website/data/census-tables>

भारत सरकार. 2019. क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर एडैप्टेशन प्लानिंग इन इंडिया यूजिंग ए कॉमन फ्रेमवर्क, 2019–20. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग <https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf>

भारत सरकार. 2021. नेशनल इनवेंट्री ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, 2021. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड. <https://cpcb.nic.in/openpdffile.php?id=UmVwb3J0RmlsZXMvcMTIyOF8xNjE1MTk2MzlyX21lZGlhcGhvG85NTY0LnBkZg==>

भारत सरकार. 2022. वार्षिक रिपोर्ट 2022. भारतीय मौसमविज्ञान विभाग, भूविज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार. https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/ar2022.pdf

भारत सरकार. 2022. लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स-एंट ए ग्लांस - अनंतिम अनुमान. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, भारत सरकार. लैंड यूज स्टेटिस्टिक्स-एंट ए ग्लांस. आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की अधिकृत वेबसाइट (desagri.gov.in)

भारत सरकार. 2023. “नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023”. केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी). जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार. <https://cgwb.gov.in/cgwpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf>.

भारत सरकार. 2023. “नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2023”: केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) <https://cgwb.gov.in/cgwpnm/public/uploads/documents/17014272111704550895file.pdf>.

भारत सरकार. भारत की जनगणना. 2011. महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. <http://www.censusindia.gov.in/>.

भूजल प्रदूषण. 2021. जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार. <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=1707520>

गुप्ता, पी के, जे जी पटेल, आर पी सिंह, आइ एम बहुगुणा, और राज कुमार. 2021. “स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन वेटलैंड्स”. स्पेस अप्लीकेशनसंस सेंटर, इसरो https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf.

आइएमडी. 2023. “भारतीय मौसम विज्ञान विभाग”. <https://mausam.imd.gov.in>.

नेशनल वेटलैंड स्टेटिस्टिक्स. टाइपवाइज एस्टिमेट्स ऑफ वेटलैंड्स इन इंडिया. <https://indianwetlands.in/wetlands-overview/national-wetlands-statistics/>

नीति आयोग. 2019. “एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019–20”. नीति आयोग, भारत सरकार.

नीति आयोग. 2019. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स https://social.niti.gov.in/uploads/sample/water_index_report2.pdf

नीति आयोग. 2020. “एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020–21 – परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज”. नीति आयोग, भारत सरकार. <https://sdgindeiaindex.niti.gov.in/#/state-compare?goal=3&area=IND010&timePeriod=2020>

नीति आयोग. 2022. “इंडियन मॉडल ऑफ एसडीजी लोकलाइजेशन”. नीति आयोग, भारत सरकार.

नीति आयोग. 2022. स्टेट इनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स – राउंड 1. 2022 <https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-04/StateEnergy-and-ClimateIndexRound1-10-04-2022.pdf>

नीति आयोग. 2023. “ए ग्रीन एंड स्टेनेबल एजेंडा फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी”. प्रोसीडिंग्स ऑफ ए जी20

इंटरनेशनल कंफ्रेंस, नई दिल्ली. नीति आयोग. https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-12/REVISED_Report-on-G20-Conference-on-Green-Growth_FINAL-REVISED.pdf.

पांडेय, स्वीटी, नवीन कुमार विद्यार्थी, राजनाथ राम, और राकेश सरवाल. 2022. “स्टेट इनजर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स : राउंड-1”. मुद्रणपूर्व. ओपन साइंस फ्रेमवर्क. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8ec6q>.

स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन वेटलैंड्स. स्पेस अप्लीकेशनसंस सेंटर, इसरो, अहमदाबाद, भारत. https://indianwetlands.in/uploads/wetland_atlas_LISS3_final-SAC.pdf

स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021. भारतीय वन सर्वेक्षण, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय. भारत सरकार.

स्स्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया स्कोर 2020. <https://sdgindiaindex.niti.gov.in/#/ranking>

विश्व बैंक. 2021. “क्लाइमेट रिस्क कंट्री प्रोफाइल - इंडिया”. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/country-profiles/15503-WB_India%20Country%20Profile-WEB.pdf



बिहार सरकार

वित्त विभाग
बिहार सरकार